पंचदश माला, खंड 16, अंक 23

शुक्रवार, 25 मार्च, 2011

4 चैत्र, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

(खण्ड 16 में अंक 11 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 16, सातवां सत्र, 2011/1933 (शक)

अंक 23, शुक्रवार, 25 मार्च, 2011/4 चैत्र, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	
कोरिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2-3
राज्य सभा से संदेश	3-39
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	40
प्राक्कलन समिति	
विवरण	40
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	41-42
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	42
सदस्यों द्वारा निवेदन	43
(एक) लोक सभा में, शुंगलु समिति, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में अनियमितताओं की जांच की, के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की मांग के बारे में	43-46
(दो) जाति आधारित जनगणना की पद्धति पर निर्णय लिए जाने के बारे में	84-87
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	46
(एक) येलो लीफ रोग से प्रभावित सुपारी की फसल की क्षति के कारण चिकमगलूर जिले में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	
श्री एच.डी. देवेगौड़ा	47-54

*सभा में लगातार व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर नहीं दिए जा सके। इसलिए, इन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित माना गया।

विषय **कॉलम**

(दो) खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाए जाने के संबंध में सरकार की पहल से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री गुरुदास दासगुप्त 54-67

विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011 67-68

नियम 377 के अधीन मामले 68-75

(एक) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस 68-69

(दो) केरल के चालाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों के आक्रमण से लोगों को संरक्षण देने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन 69

(तीन) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद तथा बाराबंकी जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. निर्मल खत्री 70

(चार) जस्टिस ऊषा मेहरा कमीशन की सिफारिशों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए संसद में एक विधेयक पुर:स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मन्दा जगन्नाथ 70

(पांच) महाराष्ट्र के भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मूलभूत नागरिक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए एक वित्तीय पैकेज शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे 70-71

(छह) तिरूनेलवेली (तमिलनाडु) से अम्बासमुद्रम-पापनाशम और नेदूमंगाडू होते हुए तिरूवनंतपुरम (केरल) को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू 71

(सात) आन्ध्र प्रदेश के राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना को एक राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली 72

विषय **कॉलम**

(आठ) गुजरात में गैस आधारित उद्योगों को ओ.एन.जी.सी. द्वारा प्राकृतिक गैस के आवंटन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री नारनभाई कछाड़िया 72-73

(नौ) राजस्थान के बीकानेर में शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहकों के खातों के निपटान में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 73

(दस) बी.पी.एल. परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधि का आवंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कश्यप 74

(ग्यारह) देश में गरीबों के कल्याण के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील 74-75

(बारह) देश में खाद्य मदों के अत्यधिक अपमिश्रण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 75

सिक्का निर्माण विधेयक, 2009 75-84

विचार करने के लिए प्रस्ताव

खंड 2 से 28 और 1 78

पारित करने के लिए प्रस्ताव 79-84

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर के उत्थान की आवश्यकता 87-93

विदाई संबंधी उल्लेख 94-98

राष्ट्रगीत 98

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/16/23/2011 (एन.)

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।

लोक सभा

शुक्रवार, 25 मार्च, 2011/4 चैत्र, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मैं अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री एस. बेंजामिन के दु:खद निधन के बारे में सभा को सूचित करना चाहती हूं।

श्री एस. बेंजामिन आन्ध्र प्रदेश के बायटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा के सदस्य थे।

इससे पहले श्री बेंजामिन 1981 से 1985 तक आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे।

श्री बेंजामिन नौवीं लोक सभा के दौरान याचिका समिति और वस्त्र मंत्रालय का परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्री बेंजामिन ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' में भाग लिया और कई मौकों पर गिरफ्तारी दी। उन्होंने चिराला नगरपालिका, आन्ध्र प्रदेश के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

खेलकूद के प्रोत्साहक श्री बेंजामिन ने 1939-40 में बॉम्बे में आयोजित नौवें ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स में कबड्डी और जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता।

एक सक्रिय मजदूर नेता श्री बेंजामिन ने मजदूरों के उत्थान के लिए प्रयास किया तथा समाज के जरूरतमंद लोगों, गरीबों और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए काम किया।

श्री एस. बेंजामिन का 6 मार्च, 2011 को बायटला में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोकाकुल परिवार के प्रतिसंवेदना प्रकट करने में पूरा सदन मेरे साथ शामिल होगा।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

कोरिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे सभा के सदस्यों की ओर से तथा अपनी ओर से हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए कोरिया गणराज्य के नेशनल एसेम्बली के अध्यक्ष महामहिम श्री पार्क ही-टाय तथा कोरियाई संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वे मंगलवार, 22 मार्च, 2011 को भारत आए। वे इस वक्त विशेष दीर्घा में बैठे हुए हैं। हम अपने देश में उनके सफल एवं सुखद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से कोरिया गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मित्रवत् जनता को अपना अभिनंदन और शुभकामनाएं संप्रेषित करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा): महोदया, गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसके बाद करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): यह बहुत अपमानजनक है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये, पेपर्स ले करने दीजिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: रिकार्ड में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी] *(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। आप बैठ जाइये, अभी पेपर्स ले करने दीजिये।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: रिकार्ड में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी] *(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। आप बैठ जाइये, अभी पेपर्स ले करने दीजिये।

[अनुवाद] *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: रिकार्ड में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अपराह्न 11.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4397/15/11]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): मैं वर्ष 2011-2012 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4398/15/11]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) लोकोप्रिय गोपनीय बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकोप्रिय गोपनीय बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4399/15/11]

(3) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4400/15/11]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4401/15/11]

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं अपने सहयोगी, श्री कपिल सिब्बल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्टरी ऑफ इंडियन साइंस, फिलोसॉफी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्टरी ऑफ इंडियन साइंस, फिलोसॉफी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4402/15/11]

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा।

(2) उपर्युक्त संस्थानों के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल): मैं वर्ष 2011-12 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4404/15/11]

जल संसाधन मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): मैं वर्ष 2011-12 के लिए जल संसाधन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4405/15/11]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4406/15/11]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का का.आ. 473(अ) जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा उन प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है जो विलुप्तप्राय हैं अथवा निकट भविष्य में जिनके विलुप्त हो जाने की संभावना है तथा जो उनके संग्रहण का निषेध अथवा विनियमन किए जाने तथा इन प्रजातियों के पुनर्वास हेतु कदम उठाए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4407/15/11]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): मैं श्री अजय माकन की ओर से वर्ष 2011-12 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के परिणामी बजट की

[श्री प्रतीक पाटील]
एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4408/15/11]

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं प्रो. वी.के. थॉमस की ओर से विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 71(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विधिक मापविज्ञान (प्रतिमानों का अनुमोदन) नियम, 2010 जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 183(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4409/15/11]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4410/15/11]

(2) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2008-09 और 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4411/15/11]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समळौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4412/15/11]

(दो) पी.ई.सी. लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समळौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4413/15/11]

(तीन) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समळौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4414/15/11]

(2) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (छठा संशोधन) नियम, 2010 जो 16 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 982(अ), में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उद्देश्यों और कारणों का कथन और व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4415/15/11]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन हेतु अनुदान) विनियम, 2010 जो 12 फरवरी, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 37/3/लीगल/2010 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4416/15/11]

(3) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.

सं. 37/3/लीगल/2008 जो 22 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का गठन और कृत्य) विनियम, 2008 का निरसन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4417/15/11]

(5) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4418/15/11]

(7) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4419/15/11]

(9) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4420/15/11]

(11) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4421/15/11]

(13) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4422/15/11]

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

(15) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4423/15/11]

(17) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4424/15/11]

(19) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4425/15/11]

(21) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराळार के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराळार के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4426/15/11]

(23) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4427/15/11]

(25) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4428/15/11]

(27) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4429/15/11]

(29) (एक) चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4430/15/11]

(30) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4431/15/11]

(32) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4432/15/11]

(34) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4433/15/11]

(36) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4434/15/11]

(38) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4435/15/11]

(40) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4436/15/11]

(42) (एक) नार्थ-इस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ-इस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4437/15/11]

(44) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4438/15/11]

(46) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4439/15/11]

(48) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4440/15/11]

(50) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4441/15/11]

(52) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4442/15/11]

(54) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4443/15/11]

(56) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरथकल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरथकल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4444/15/11]

(58) (एक) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, ल्यूमामी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, ल्यूमामी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4445/15/11]

(60) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अजमेर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अजमेर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4446/15/11]

(62) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4447/15/11]

(63) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4448/15/11]

(65) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4449/15/11]

(67) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(68) उपर्युक्त (67) के (दो) में उल्लिखित वार्षिक लेखाओं के विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4450/15/11]

(69) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4451/15/11]

(71) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4452/15/11]

(73) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरूवरूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरूवरूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4453/15/11]

(75) (एक) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4454/15/11]

(77) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4455/15/11]

(79) (एक) ळारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ळारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4456/15/11]

(81) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4457/15/11]

(83) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अधिसूचना संख्या एफ. 47-49/2009/एन.सी.टी.ई./सी.डी.एन. (पी.टी.) जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रोफेसर जे.सी. सोनी के पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ. 47-49/2009/एन.सी.टी.ई./सी.डी.एन. जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर के समापन के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या एफ. 61-03/20/2010/एन.सी.टी.ई./(एन एण्ड एस) जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो किसी विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताओं के बारे में है।

(84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4458/15/11]

(85) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य ट्यूशन फीस तथा अन्य फीस के विनियमन हेतु दिशानिर्देश) संशोधन विनियम,, 2010 जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 15-3/2009/पी.टी./एन.सी.टी.ई. (एन एण्ड एस) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4459/15/11]

(87) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आई.जी./एडमिन (जी)/ऑर्ड.5/2009/1978 जो 12 नवम्बर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं/डिग्रियों की मान्यता के बारे में अध्यादेश (अध्यादेश 5) के खंड 1(v) के अंतर्गत संशोधन से संबंधित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4460/15/11]

(88) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4461/15/11]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): श्री नमो नारायण मीणा की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अनुपालन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 23) - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4462/15/11]

(2) अनुपालन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 24) - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4463/15/11]

(3) निर्माण सेवाओं पर सेवा कर की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 25)-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4464/15/11]

(4) अनुपालन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 29)-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4465/15/11]

(5) सेनवेट क्रेडिट स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 30)-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4466/15/11]

(6) फिल्म और टेलीविजन उद्योग में संलग्न निर्धारितियों के कराधान के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 36)-संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4467/15/11]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं प्रो. सौगत राय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4468/15/11]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4469/15/11]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं श्री एस.एस. पलानीमनिकम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 22 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3946 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4470/15/11]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत रक्षा सम्पदा प्रबंधन की निष्पादन लेखा-परीक्षा के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2010-11 का संख्यांक 35) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4471/15/11]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं श्री जितिन प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2704(अ), जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना

[श्री वी. नारायणसामी]

संख्या का.आ. 1096(अ), में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2706(अ), जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 314(अ), जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 139(अ), जो 20 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4472/15/11]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2705(अ), जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के रेवा-कटनी खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ. 313(अ), जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के पनवेल-इन्दापुर खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 315(अ), जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख के भाग (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से सावनेर तक) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का.आ. 138(अ), जो 20 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 910(अ), में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4473/15/11]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साईं प्रताप): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4474/15/11]

(3) वर्ष 2011-2012 के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4475/15/11]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4476/15/11]

(3) (एक) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज (एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज (एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज (एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4477/15/11]

(5) (एक) इंडियन फार्मोकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्मोकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4478/15/11]

(7) (एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4479/15/11]

(9) (एक) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4480/15/11]

(11) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 82(अ), जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत, उसमें उल्लिखित कतिपय औषधियों के निर्माण, विक्रय और वितरण का प्रतिषेध किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4481/15/11]

(12) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 से 2008-2009 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री दिनेश त्रिवेदी]

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 से 2008-2009 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 से 2008-2009 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4482/15/11]

(14) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4483/15/11]

(16) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4484/15/11]

(18) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4485/15/11]

(20) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के वर्ष 2004-2005 से 2009-2010; एम.एन.जे.आई.ओ., हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010; आर.सी.सी., त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2007-2008 से 2009-2010 और उनमें उल्लिखित 15 अन्य संस्थाओं के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4486/15/11]

(21) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 18 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 101(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4487/15/11]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं श्री मुकुल राय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गौतम बुद्ध नगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गौतम बुद्ध नगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4488/15/11]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं श्री डी. नेपोलियन की ओर से वर्ष 2008-2009 से 2010-2011 तक के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के परिणामी बजटों के शुद्धि पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4489/15/11]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं डॉ. एस. जगतरक्षकन की ओर से वर्ष 2011-2012 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4490/15/11]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): मैं श्री एस. गांधीसेलवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4491/15/11]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4492/15/11]

(5) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4493/15/11]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री दिनेश त्रिवेदी]

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4494/15/11]

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4495/15/11]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गुजरात स्टेट सीड्ज कार्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्ज कार्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4496/15/11]

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4497/15/11]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) अधरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अधरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4498/15/11]

(3) (एक) सेंटर फॉर लिक्विट क्रिस्टल रिसर्च, बेंगलुरू के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर लिक्विट क्रिस्टल रिसर्च, बेंगलुरू के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4499/15/11]

(5) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4500/15/11]

(7) (एक) नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लैबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लैबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4501/15/11]

(9) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4502/15/11]

(11) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4503/15/11]

(13) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4504/15/11]

(15) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4505/15/11]

[श्री अश्विनी कुमार]

(17) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4506/15/11]

(19) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4507/15/11]

पूर्वाह्न 11.09 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित दो संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2011 को, जिससे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 2011 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 2011 को, जिससे लोक सभा द्वारा अपनी 22 मार्च, 2011 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इन सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

पूर्वाह्न 11.09½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान आयोजित तेरहवीं से सोलहवीं बैठकों के कार्यावाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

प्राक्कलन समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा): मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के बारे में प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में उनके छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला प्राक्कलन समिति का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.10½ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) "वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए समन्वित कार्यक्रम कार्यान्वयन में लगे स्वैच्छिक संगठन" के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के 38वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2008-09 के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के 41वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2008-09 के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के 7वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2009-10 के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के 8वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

पूर्वाह्न 11.10¾ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): अध्यक्ष महोदया, लोक सभा समाचार भाग-दो दिनांक 1 सितम्बर, 2004 में प्रकाशित माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निदेश 73(क) के अनुसरण में मैं वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) से संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

श्रम संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2010-11 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच की और इस संबंध में 22-04-2010 को लोक सभा में अपना ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में सिफारिशें की गई हैं। समिति की सिफारिशें मुख्यतः वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों पर केन्द्रित हैं। वस्त्र मंत्रालय में इन सिफारिशों की जांच की गई और इन सिफारिशों पर की गई। प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी अगस्त, 2010 में श्रम संबंधी स्थायी समिति को दी गई। वस्त्र मंत्रालय समिति की सिफारिशों का अक्षरशः क्रियान्वयन करने का भरसक प्रयास कर रहा है।

मैं इसके साथ इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति का ब्यौरा भी सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4508/15/11

पूर्वाह्न 11.12 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) लोक सभा में, शुंगलु समिति, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में अनियमितताओं की जांच की, के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की मांग के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे - श्री एच.डी. देवेगौड़ा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम आपको बोलने का समय देंगे, लेकिन पहले कॉलिंग अटेंशन हो जाने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कॉलिंग अटेंशन हो जाने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कॉलिंग अटेंशन हो जाने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कॉलिंग अटेंशन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम यह मुद्दा उठा लेंगे और आपको भी और इनको भी बोलने का मौका दे देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कॉलिंग अटेंशन लगा हुआ है। आप सभी वरिष्ठ सांसद हैं और सभी नियम जानते हैं कि ध्यानाकर्षण पहले लिया जाता है।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदया, मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, यह बहुत बड़ा मामला है और आपने मुळा से कहा था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैंने कहा है और इसीलिए एक सिलसिले के साथ सदन को चला रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कॉलिंग अटेंशन से पहले जीरो ऑवर क्यों लेना चाह रहे हैं? आप लोग नयी परंपरा क्यों डालना चाहते हैं? कॉलिग अटेंशन के बाद जीरो ऑवर ले लेंगे। आप यह नयी परंपरा क्यों डाल रहे हैं। हमने कहा है आपको और हम जो कहते हैं, उससे कभी नहीं टलते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको समय देंगे। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कॉलिंग अटेंशन सबसे पहले लिया जाता है। मैं जान रही हूं, लेकिन इस मुद्दे को कॉलिंग अटेंशन के बाद ले लीजिए। कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कॉलिंग अटेंशन है और नियम के अनुसार ही हम चल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, इस सत्र के आरंभ में जो तीन मुद्दे पूरे विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे, उनमें 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, दूसरा, सी.डब्ल्यू.जी. और तीसरा, मुम्बई का आदर्श सोसायटी घोटाला। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं शुंगलू कमेटी बैठायी थी, सी.डब्ल्यू.जी. के बारे में जांच करने के लिए। आज आखिरी दिन पर इतनी खबर मिली है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इसी कारण इतने सारे सदस्यों ने उसका नोटिस दिया है, शार्ट नोटिस दिया है। हमारा निवेदन है कि उस रिपोर्ट को आज ही सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यदि अवसर मिले तो उस पर चर्चा भी हो जाए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि हिन्दुस्तान की जनता के मन में भ्रष्टाचार के बारे में जो चिंताएं पैदा हुईं, उसका आरंभ सी.डब्ल्यू.जी. से हुआ।..*(व्यवधान)* हमारा निवेदन है और सारा विपक्ष चाहेगा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब हो चुका है, अब कॉलिंग अटेंशन कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कॉलिंग अटेंशन कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हम आपको, कीर्ति आजाद जी और शैलेन्द्र कुमार जी, आपको भी बुलवाएंगे। कॉलिंग अटेंशन कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, नेता सदन इस पर रिस्पॉण्ड करें।...*(व्यवधान)*

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): महोदया, संसदीय कार्य मंत्री को इस पर रिस्पॉण्ड करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री एच.डी. देवेगौड़ा

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, वे जवाब देना चाहते थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: नेता सदन रेस्पोंड करे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, आइए ध्यानाकर्षण पर चर्चा प्रारंभ करें।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, यह एक कार्यकारी आदेश था जिसमें समिति को एक कार्य सौंपा गया था। मैं सरकार तथा संबंधित मंत्री को यहां व्यक्त की गई भावनाओं की जानकारी दे चुका हूं जो इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार इस पर अपना विचार बनाएगी। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि कोई भी ऐसी स्थिति होगी जहां कार्रवाई अपेक्षित होगी, वहां सरकार कार्रवाई करेगी परंतु पहले रिपोर्ट के बारे में जानने से पूर्व समाचार पत्रों में छापे गए तथ्यों और कही गई बातों को सुनकर सीधे सभा में हमसे इस पर वक्तव्य देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा): मेरे पास दस्तावेज हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब, श्री एच.डी. देवेगौड़ा

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मंत्री जी ने कहा है, हम इनकी बात से संतुष्ट नहीं हैं।...*(व्यवधान)* हर चीज में सरकार यह कह देती है कि एक्शन रिकवायर्ड है तो करेंगे। एक्शन रिकवायर्ड है तो करेंगे, यह तो एक रूटीन उत्तर है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, हम और क्या कह सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदया मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी कार्रवाई अपेक्षित है, वह की जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी] *(व्यवधान)...**

श्रीमती सुषमा स्वराज: आडवाणी जी ने इतनी बड़ी बात उठाई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जो कहा है, हम इनकी बात से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

तत्पश्चात् श्रीमती सुषमा स्वराज तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

पूर्वाह्न 11.16¼ बजे

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) येलो लीफ रोग से प्रभावित सुपारी की फसल की क्षति के कारण चिकमगलूर जिले में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अब मद संख्या 35, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी। श्री एच.डी. देवेगौड़ा।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हसन): महोदया, मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें:-

'पीत पर्ण रोग' से प्रभावित सुपारी की फसल की क्षति के कारण चिकमगलूर जिले में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): महोदया, मैं 'पीत पर्ण रोग' (वाई.एल.डी.) से प्रभावित सुपारी की फसल के नुकसान के कारण कर्नाटक के किसानों के समक्ष आई समस्याओं पर माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री देवेगोड़ा क्या आपको मंत्री का वक्तव्य प्राप्त हुआ है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: हां, मुळो वह मिल गया है।

अध्यक्ष महोदया: आप वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री अरुण यादव: महोदया, मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*कर्नाटक 174,400 हैक्टेयर क्षेत्र से 231,700 मीटरी टन के वार्षिक उत्पादन के साथ भारत में सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक राज्य हैं। सुपारी उगाने वाले मुख्य जिले शिमोगा, दक्षिण कन्नड, तुमकूर, दावनगड़े, चिकमगलूर, उत्तर कन्नड़, चित्रदुर्ग और उडुपी हैं। ये आठ जिले सुपारी उत्पादन के 94% को कवर करते हैं।

पीत पर्ण रोग

सुपारी में पीत पर्ण रोग फाइटोप्लाज्मा आर्गेनिजम के कारण होता है तथा यह सुपारी के बागान में संक्रमित प्लान्ट हौपर से फैलता है। ऐसा जाना जाता है कि फाइटोप्लाज्मा कई पामों को संक्रमित करता है। वैश्विक रूप से रोग ग्रस्त पामों का कोई उपचार नहीं है। तथापि, दीर्घकालिक अनुसंधान से सिफारिश से यह सुळाव प्राप्त हुआ कि सुपारी बागानों की स्वच्छ खेती की जाए तथा साथ ही सुपारी के बागानों में उन्नत नाली स्थितियों तथा पादप रक्षण पद्धतियों सहित संस्तुत कृषि पद्धतियों को अपनाकर प्रभावित पामों को अच्छी स्थित में रखा जाए। पुराने पामों को काटा जाए तथा उसकी जगह पर स्वस्थ पौध लगाया जाए। लकड़ियों का विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

श्रृंगेरी और कोपा तालुकों में कुछ सुपारी बागानों में रोग की गहनता 25% से 100% तक है जिसके कारण उपज स्तर में तेजी से कमी आयी है। यह अनुमान लगाया जाता है कि पिछले कुछ समय में कुछ बागनों में उपज स्तर 75% तक गिरा है। पहाड़ी क्षेत्र में वाइ.एल.डी. के फैलाव की वर्तमान स्थिति लगभग 33% है।

कर्नाटक के चिकमगलूर के पश्चिमी घाटों और सिमोगा जिलों के सुपारी उत्पादकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आलोक में कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने इन जिलों के सुपारी उत्पादकों द्वारा सामना किए गए समस्याओं के ब्यौरे का अध्ययन करने के लिए डॉ. गोरख सिंह, बागवानी आयुक्त की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय दल का गठन किया। सुपारी उत्पादकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 17 से 19 नवम्बर, 2009 तक केन्द्रीय दल ने चिकमगलूर और शिमोगा जिलों का दौरा किया तथा निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की:-

1. सुपारी खेती के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार को हतोत्साहित किया जाय। विद्यमान बागानों में भी जब कभी नए पौध रोपण की आवश्यकता हो अन्य अधिक लाभप्रद फसलों को लगाने की संभावना पर विचार किया जाए।

2. चूंकि सुपारी से आय आर्थिक स्तर से भी कम हो गई अत: किसानों को उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त अन्य फसलों जैसे केला, काफी, कोको, काली मिर्च, जीरा, कारडमम, कंद फसलों, फल फसलों आदि की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाए ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके।

3. सुपारी के विभिन्न उपयोगों तथा औषधीय उपयोगों की सूचना प्राप्त हुई है अत: आर्थिक रूप से इसका इस्तेमाल करने के लिए व्यवहार्य प्रौद्योकियों का विकास किया जाए। भेषज विळानीय, औद्योगिक और कास्मेटिक क्षेत्रों में उपयोग के लिए अध्ययन को गहन बनाया जाए। संस्थागत निधिकरण के जरिए उत्पाद की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए औषधीय और औद्योगिक प्रयोजन के लिए सुपारी के उपलब्ध उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

4. विद्यमान सुपारी बागानों में भूमि के यूनिट क्षेत्र से आय में वृद्धि करने के लिए, अत: और

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

मिश्रित फसलों के साथ फसल विविधिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। अत: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है:

- किसानों के बीच जागरुकता, रोग से प्रभावित सुपारी पामों के प्रबंधन, गम्भीर रूप से रोगग्रस्त पामों को काट करके तथा हटाकर के तथा पुन:रोपण के जरिए पुनरोद्धार घटक के तहत पीतपर्ण रोग ग्रस्त सुपारी के बागानों का पुनरुद्धार।
- क्षेत्र के लिए उपयुक्त वैकल्पिक फसलों के साथ क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम।

5. प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के जरिए सुपारी के वैकल्पिक उपयोग का संवर्द्धन।

6. सुपारी में पीतपर्ण रोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आई.सी.ए.आर. अनुसंधान क्रियाकलापों में तेजी लाएं तथा एक वैज्ञानिक प्रणाली का सुझाव दें।

7. चिकमगलूर तथा शिमोगा जिलों में जहां भूमि जोत 4 हैक्ट. से कम है, सुपारी उत्पादकों की दशाओं को ध्यान में रखते हुए सुपारी उत्पादकों के ऋण की माफी तथा उनको नए ऋण दिए जाने पर विचार किया जाए।

8. मनमाड तथा तटवर्ती क्षेत्रों में भी पारम्परिक क्षेत्रों में मंडी हस्तक्षेप स्कीम लागू की जाए।

सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

केन्द्रीय दल द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने निम्नलिखित कार्य योजना के कार्यान्वयन को शुरू किया है:

1. सिफारिशें भारत सरकार के संबंधित विभागों यथा सुपारी उत्पादकों को ऋण छूट और नए ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग, औषधीय प्रयोग हेतु सुपारी के वैकल्पिक प्रयोग के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अग्रेषित की गई थी।

2. भा.कृ.अ.प. ने अपने अनुसंधान कार्यकलापों को जारी रखा है जिसमें पूर्व पहचान के लिए विकासशील किटे तथा रोगमुक्त रोपण अंकुरणों का प्रमाणन शामिल हैं।

3. केन्द्रीय पौधरोपण फसल अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.प.) और कृषि विकास केन्द्रों को और अधिक प्रभावी फसल प्रबंधन दृष्टिकोण का विकास करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में सुपारी उत्पादकों को इनका प्रदर्शन करना है।

4. कर्नाटक सरकार को परामर्श दिया गया है कि इन स्कीमों को शामिल करें जिसका उद्देश्य वैकल्पिक फसलों का क्षेत्र विस्तार करना, चरणबद्ध रीति से एन.एच.एम. के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना में रोगग्रस्त सुपारी पौधों का नवीकरण/प्रतिस्थापन करना है।

उपर्युक्त उपायों से सुपारी में वाई.एल.डी. को कुछ सीमा तक रोकने में मदद मिलेगी, चूंकि इस रोग के लिए कोई पूर्ण उपचार नहीं है।

सरकार के अन्य चालू हस्तक्षेप

1. कर्नाटक सरकार ने 2008-09 के दौरान केवल पीत पर्ण रोग पर अनुसंधान करने के लिए श्रृंगेरी, चिकमगलूर जिला में सुपारी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने हेतु 4 वर्षों की अवधि के लिए 494.38 लाख रु. की राशि मंजूर की गई है। बागवानी विश्वविद्यालय, बागलकोट को 2.60 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है तथा अनुसंधान क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं और कम, मध्यम तथा उच्च रूप से प्रभावित सुपारी के बागानों से मृदा एवं पादप प्रजातियों के नमूने एकत्रित किए गए हैं।

2. सुपारी के क्षेत्र विस्तार के लिए केन्द्र क्षेत्र अथवा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई स्कीमें नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) के समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आई.एन.एम.) और समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व और पौध संरक्षण आदान प्रति हैक्टेयर अधिकतम 1000 रु. तक 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं। 2009-10 के दौरान आई.एन.एम. और आई.पी.एम. के अंतर्गत क्रमश: 20 लाख रु. और 111 लाख रु. के राशि का उपयोग किया जा चुका है।

3. राज्य क्षेत्रीय स्कीम "बागवानी फसलों का समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन" के अंतर्गत सुपारी सहित बागवानी फसलों की कीट और रोग प्रबंधन के लिए पौध संरक्षण रसायन वितरित किए जा रहे हैं।

4. वर्ष 2007-08 में सुपारी की फसल फ्रूट-रॉड रोग (कोलेरोगा) से भीषण रूप से प्रभावित हुई थी। इस रोग

[श्री अरुण यादव]

का प्रबंधन करने के लिए एक विशेष पैकेज जिसमें सहायता लागत के 50 प्रतिशत तक प्रति हैक्टैयर अधिकतम 1500 रु. तक लाभानुभोगी को 1 प्रतिशत बोर्डेक्स मिश्रण के दो छिड़काव करने के लिए दी गई थी। कार्यक्रम को दक्षिण कन्नड़, उडुपी, हसन, चिकमगलूर, शिमोगा, उत्तरी कन्नड़ और कोडगु जिलों में शुरू किया गया था और 668.53 लाख रु. राशि का उपयोग किया गया था।

5. कन्नड़ सरकार ने 2009-10 के दौरान सुपारी (चाली किस्म) के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम को कार्यान्वित किया है। स्कीम के अनुसार सुपारी की "चाली" किस्म के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य 6900 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जिसके लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 600 रु. और मिलाए गए थे। चाली (सफेद किस्म) सुपारी की 7500 रु. प्रति क्विंटल पर खरीद की जा रही है और 11-11-2009 तक 1028 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है।

6. 2008-09 के दौरान औद्योगिकीय प्रयोग के लिए प्रयुक्त होने वाली सुपारी शराब, आयुर्वेदिक औषधि और तन्नुनस जैसे सुपारी उत्पादों पर अनुसंधान आयोजित कराने के लिए "सुपारी अनुसंधान और विकास संघ" मंगलौर के लिए 1.00 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

7. सुपारी में वाइ.एल.डी. के फैलने तथा सुपारी और तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर प्लास्टिक सैशों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सुपारी उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येद्दुरपा के नेतृत्व में कर्नाटक का एक शिष्ट मण्डल जिसमें केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली, और राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधायक और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं, ने माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ दिनांक 21 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में बैठक की। राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) के अंतर्गत सुपारी की खरीद करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करें।*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं पीतपर्ण रोग (येलो डिजीज) तथा डॉ. गोरख सिंह की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय टीम द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में माननीय कृषि मंत्री द्वारा दिए गये वक्तव्य को पढ़ चुका हूं।

यह रिपोर्ट 2009 में दी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम इस मामले पर चर्चा 2011 में कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 2009 में भेजी गई विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है। क्या रिपोर्ट में अंतर्निहित किसी सिफारिश को स्वीकार कर कार्यान्वित किया गया है? कृपया मुझे बताएं।

श्री अरुण यादव: अध्यक्ष महोदया, 17 और 19 नवम्बर, 2009 के बीच एक केन्द्रीय टीम ने कर्नाटक के चिकमगलूर और शिमोगा जिले का दौरा किया। उन्होंने वहां के किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाली टीम द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं। इनकी पहली सिफारिश सुपारी की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि को हतोत्साहित करने के बारे में थी। दूसरी यह कि किसानों को सुपारी की खेती करने के बजाय इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल-केला, कॉफी, कोकोआ, काली मिर्च, इलायची आदि की खेती करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अखबार को समेट कर बगल में रख दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अरुण यादव: तीसरी सिफारिश यह है कि औषधीय और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सुपारी के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चौथी बात यह है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस टीम ने कहा कि मौजूदा खेतों से और अधिक आमदनी हासिल करने के लिए किसानों को हतोत्साहित करने हेतु सुपारी के बगीचे में फसल-विविधीकरण और अंतरफसलीकरण अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के माध्यम से सुपारी के वैकल्पिक उपयोग की प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आई.सी.ए.आर. पहले से ही इस मुद्दे पर अनुसंधान कार्य कर रहा है। चौथी बात यह है कि चिकमगलूर और अन्य जिलों में सुपारी उत्पादकों की इस स्थिति को देखते हुए कि उनके पास जोत की भूमि चार हेक्टेयर से भी कम है, उन्हें नया ऋण प्रदान करने के लिए सुपारी उत्पादकों के लिए ऋण माफी योजना पर विचार किया गया है।

कर्नाटक सरकार द्वारा एक बाजार हस्तक्षेप योजना पर पहले ही विचार किया जा चुका है और उसका

कार्यान्वयन भी किया जा चुका है। राज्य सरकार पहले से ही इसे देख रही है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: क्या गोरखनाथ समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से कोई सिफारिश अभी तक कार्यान्वित की गई है? माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि चार हेक्टेयर और इससे कम क्षेत्र भूमि वाले किसानों का फसल ऋण माफ करना होगा। क्या विगत तीन वर्षों में उन्होंने इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया है?

उन्होंने सुपारी के पैकिंग में प्लास्टिक के पुरिए (सैशे) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अन्य प्रयोजनों, यहां तक कि पानी और दूध के पैकिंग के लिए भी प्लास्टिक की थैली का उपयोग किया जाता है लेकिन सुपारी के पैकिंग के लिए प्लास्टिक के पुरिए (सैशे) पर प्रतिबंध है। उसका दुष्प्रभाव यह हुआ है कि बाजार में आज उसका खरीददार नहीं है। कोई भी उस उत्पाद को नहीं खरीद रहा है। अत: किसानों की हालत दयनीय हो गई है। कभी यह 15000 रुपये प्रति टन बिका करती थी, लेकिन आज 4000 रुपये या 3000 रुपये प्रति टन के भाव पर भी कोई खरीदने वाला नहीं है। कृपया हमें बताएं कि अंतरफसलीकरण या अन्य किसी उपाय के बारे में आप जो कह रहे हैं, उसमें से किसी का कार्यान्वयन अभी तक किया गया है या नहीं। पिछले वर्ष केवल 11 लाख रुपये ही व्यय किये गये थे। आप कर्नाटक के 12 जिलों के किसानों के लिए वास्तव में क्या करना चाहते हैं? मुळो नहीं मालूम कि अन्य राज्यों में क्या हो रहा है। सात से आठ राज्य सुपारी का उत्पादन करते हैं और इसका कुल उत्पादन दो लाख टन है। मैं आगे और विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मुळो सभी रिपोर्ट मिल गई है। कृपया मुळो बताइए।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसा दोबारा हो रहा है जिसकी वास्तव में कोई अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कृपया ळूठी सहानुभूति न दिखाएं। यदि आप कोई ठोस उपाय करना चाहते हैं, तो बताएं। यदि नहीं तो न कहें और किसानों को आत्महत्या करने दें।

श्री अरुण यादव: महोदया, समिति की सिफारिश पहले ही वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है और वित्त मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है।

श्री डी.वी. सदानंद गौडा (उदूपी-चिकमगलूर): महोदया, मैं देश में सुपारी उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में श्री देवेगौड़ा द्वारा लाए गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सहमत हूं।

श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा (बंगलौर उत्तर): महोदया, मैं देश में सुपारी उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में श्री देवगौड़ा द्वारा लाए गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

पूर्वाह्न 11.24 बजे

(दो) खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाए जाने के संबंध में सरकार की पहल से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद सं. 36 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री गुरुदास दासगुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, मैं लोक महत्व के निम्नलिखित अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:-

"खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाए जाने के संबंध में सरकार की पहल से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

अध्यक्ष महोदया: श्री दासगुप्त, क्या आपको वक्तव्य मिल गया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: जी हां, महोदया, मुळो वक्तव्य मिल गया है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी, आप वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं समय बचाने के लिए अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*बजट भाषण 2011-12 के पैरा 31 में कहा गया है कि एफ.डी.आई. नीति को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए पूर्व के सभी विनियमों तथा दिशा-निर्देशों को एक व्यापक दस्तावेज में संकलित किया गया है जिसकी प्रत्येक छह मास में समीक्षा होती है। पिछली समीक्षा सितम्बर 2010 में की गयी थी। यह समीक्षा सुस्पष्टता बढ़ाने तथा

[श्री प्रणब मुखर्जी]

विदेशी निवेशकों के प्रति हमारी विदेशी प्रत्यक्ष नीति का पूर्वानुमान लगाने के विशिष्ट आशय से की गयी है। एफ.डी.आई. नीति को और उदार बनाने के लिए विचार-विमर्श किये जा रहे हैं। मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार के संबंध में एफ.डी.आई. नीति की स्थिति इस प्रकार है:

(1) मौजूदा नीति में केवल सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में ही विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति है। सरकार को व्यापार निकायों और निवेशकों से मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. की अनुमति के लिए प्रतिवेदन और सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(2) इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने "मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" नामक एक विचार पत्र जारी किया है जिसका उद्देश्य उपर्युक्त विषय पर संसूचित विचार-विमर्श करना और विभिन्न साझीदारों से विचार और टिप्पणियां प्राप्त करना है। कई साझेदारों से जिसमें भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग शामिल हैं, टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं।

(3) एक अन्तर-मंत्रालयी समिति का गठन विचार पत्र पर प्राप्त टिप्पणियों की जांच के लिए किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की गई थी।

(4) इस समिति ने सरकार को अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट में मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई है। इसने विचार पत्र में प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया है, उन्हें व्यवस्थित रखा है तथा संक्षिप्त रूप दिया है। सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, यह एक सुस्पष्ट वक्तव्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। इसका आशय यह हुआ कि अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है परंतु वह भविष्य में कोई निर्णय ले सकती है। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुद्दा उठ रहा है।

महोदया, मैं देश के तकरीबन आठ करोड़ छोटे व्यवसायियों, फेरीवालों, पटरी वालों, जिनमें से अधिकांश के पास अपना रोजगार है और खुले बाजार की गंभीर चिंता से जुड़ा मुद्दा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी चीजें बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं।

वे सभी बेहद ग्राहक अनुकूल हैं। हालांकि राष्ट्रीय कार्यसूची में कई सौ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है और इन पर सर्वसम्मति भी है जैसे सभी के लिए भोजन, कृषि सुधार, कृषि के लिए अवसंरचना की स्थापना आदि। परंतु यह समझ में नहीं आया कि सरकार को अचानक यह इतना महत्वपूर्ण क्यों लगा कि तुरंत देश भर में चर्चा करवाने का चयन किया? इतनी जल्दबाजी किस बात की है?

चर्चा पत्र परिचालित किया जा चुका है, राय मांगी गई है, अन्तर मंत्रालयी समिति गठित कर दी गई है और मंत्री कहते हैं कि अन्तर मंत्रालयी समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। परंतु जहां तक मैं जानता हूं जवाब देने वालों में से दो तिहाई व्यक्तियों ने अपनी राय नकारात्मक ही दी है जिसका आशय हुआ है कि जिन व्यक्तियों से राय देने को कहा गया था उनमें से अधिकांश का मानना है कि खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं होना चाहिए।

दूसरे, जो खुदरा बिक्री में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सहमत हैं वे सभी अथवा उनमें से अधिकांश के पास आपूर्ति श्रृंखला है जिसका मतलब हुआ कि वे हितबद्ध पक्ष हैं और यदि एफ.डी.आई. लाया जाता है तो उन्हें एफ.डी.आई. से आवश्यक सहयोग मिलेगा। देशभर में फेरीवाले से लेकर मध्यम आकार की दुकान के साथ-साथ जिला स्तर के उद्योगों से जुड़े असंगठित खुदरा व्यापारी इस विचार से सहमत नहीं हैं कि विदेशी कंपनियों को आने दिया जाए और वे अवसंरचना में निवेश करेंगे। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि आपूर्ति श्रृंखला की सहायता के लिए देश में वालमार्ट अवसंरचना स्थापित करने का उत्तरदायित्व लेगा। जैसाकि आप कहते हैं कि इसके संबंध में लोगों की कई आशंकाएं हैं। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूं, तो इस मुद्दे पर कई गंभीर आशंकाएं हैं।

मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि ताकि उन्हें दूसरे पक्ष के विचार का भी पता लग सकें और उनसे सरकार को इस मुद्दे पर उद्देश्यपरक निर्णय में सहायता मिल सके। मैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण के विस्तृत वांगमय जिस पर मतभेद भी हैं, पर नहीं जा रहा हूं और न ही मैं तुलनात्मक रूप से बड़े राजनैतिक मुद्दे

*.....*भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया और इसे ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4510/15/11

को उठा रहा हूं। मैं केवल इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि क्या देश की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. लाया जाना चाहिए? उनका मत है कि इससे कृषक लाभान्वित होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कृषक लाभान्वित होंगे। अमेरिकी बाजार और यूरोपीय बाजार के हालिया सर्वेक्षण सहित दुनिया भर के अनुभव की बात करूं तो बड़ी कंपनियां कभी भी कृषकों की सहायता नहीं करती या उनको लाभ नहीं पहुंचाती हैं। दूसरी आशंका यह है कि इससे खाद्य पदार्थों की दरों में कमी आएगी। परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। बड़ी कंपनियां कभी भी अपना लाभ नहीं छोड़ती। वे दरें कम नहीं होने देंगे। तीसरे एक धारणा है कि वे और अधिक रोजगारों का सृजन करेंगे तो महोदया वह भी सही नहीं है। उन सभी में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और चूंकि उन सभी में अधिक पूंजी निवेश होता है तो इससे रोजगार में वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

चौथी, आशंका यह है कि इससे प्रतिस्पर्धा असमान हो जाएगी। कोई छोटा व्यापारी वालमार्ट से प्रतिस्पर्धा किस प्रकार कर सकता है? उदारीकरण हमेशा कहता है कि समान अवसर मिलना चाहिए और इसी आधार पर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। अब यहां ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा असमान हो जाएगी। बड़ी भारतीय कंपनियों को खुदरा व्यापार में प्रवेश की अनुमति दी गई थी न कि विदेशी कंपनियों को। परंतु क्या उससे स्थिति में कुछ सुधार आया है? बर्बादी में कोई कमी नहीं हुई और किसानों को इससे कोई फायदा नहीं मिला। उनका मानना है कि कृषकों की आय और खुदरा कंपनियों की आय के बीच का अंतर कम हो जाएगा। वह भी सही नहीं पाया गया। हर व्यक्ति जानता है कि देश में कृषक गंभीर रूप से पीड़ित है और उसे कम भुगतान किया जा रहा है।

इसलिए क्या आपको लगता है कि जो कुछ भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत के लोगों के लिए नहीं कर पायी वह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतीय लोगों के लिए करेंगी? क्या वे लोकोपकार के लिए यहां आ रही हैं? प्रधान मंत्री ने कहा है कि आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। परंतु मेरा मानना है कि आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करना आवश्यक नहीं है इसके बजाय हमें भारतीय लघु व्यापारियों को सुदृढ़ बनाना चाहिए। उन्हें वित्त नहीं मिल पाता, व्यापारियों को आसान ऋण, विपणन सुविधाएं, सड़क परिवहन आदि मुहैया कराएं। इस प्रकार, आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने, मुद्रास्फीति कम करने हेतु आपको यह कहने की जरूरत है। मैं प्रधान मंत्री और सरकार की बातों से सहमत हूं। परन्तु इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड मार्ट को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है बल्कि छोटे भारतीय व्यापारियों की आर्थिक ताकत को मजबूत बनाया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया है।

आठ करोड़ लोगों और उनके कर्मचारियों का भाग्य गंभीर संकट में है। ऐसा क्यों है? मैं खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. आमंत्रित करने के सरकार के इस अभियान के पीछे सरकार की कोई गलत मंशा होने का आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं कोई गलत मंशा होने का आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि खुदरा व्यापार में पहले कुल कारोबार 12 लाख करोड़ रुपये का था, परन्तु अब यह 19 लाख करोड़ रुपये का है। भारतीय बाजार चीन के बाजार से भी बड़ा है - चीन का बाजार उतना खुला हुआ नहीं है, परन्तु भारत का बाजार खुला हुआ है। मैं इस खुलेपन का स्वागत करता हूं। भारत विश्व का सबसे बड़ा अनछुआ उपभोक्ता बाजार है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने को इच्छुक कम्पनियों की नजर खुदरा व्यापार पर है क्योंकि वे यूरोप में परेशानी में हैं, वहां पर कारोबार उतार पर है। आर्थिक ठहराव की स्थिति है। इसलिए, वे अपना व्यवसाय सुधारने और बाजार पर छाने के लिए ऐसा कर रही है। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): चीन इसकी अनुमति दे रहा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: चीन उन्हें चरणबद्ध तरीके से अनुमति दे रहा है। चीन का बाजार उतना खुला नहीं है, कृपया इस बात को स्वीकार कीजिए। चीन का बाजार उतना खुला नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मेरे पास अलग प्रकार का राजनीतिक दर्शन है। मेरा मानना है कि चीन उतना खुला नहीं है, भारत खुला है। मैं भारत के इस खुलेपन का समर्थन करता हूं। कृपया इस बात को समझिए।...*(व्यवधान)* श्री नारायणसामी जी, मैं लोकतंत्र को महत्व देता हूं; हमें

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

लोकतंत्र के बारे में शिक्षा मत दीजिए क्योंकि इस सभा में हममें से प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए हम चीन के बारे में चर्चा न करें; भारत का बाजार अपेक्षाकृत अधिक खुला है। अतः प्रश्न यह है कि अनछुआ वृहत भारतीय उपभोक्ता बाजार ही वह चीज है जिसकी ओर वे आकर्षित हो रहे हैं। वे बाजार चाहते हैं। उसके लिए वे कोशिश कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे भयभीत हो रहे हैं; भारत सरकार भयभीत नहीं हो सकती क्योंकि यह 110 करोड़ लोगों की सरकार है। परन्तु उनके पास लॉबिस्ट हैं; हम हाल में लॉबिस्ट के बारे में जान पाए हैं। लॉबिस्ट खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू कराने हेतु सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए गम्भीरता से लॉबिंग कर रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा शुरू की गई चर्चा पूर्व निर्धारित है। मैं शब्द 'पूर्व-निर्धारित' का प्रयोग सोच-समळाकर कर रहा हूं; मैं सरकार से सावधान रहने का निवेदन करता हूं। मेरा निवेदन है कि गठित किए गए मुख्य पैनल ने भी अभी तक खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू करने की सिफारिश नहीं की है। अधिकांश कम्पनियां इसके विरुद्ध हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार सतर्क रहें, जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें, इस देश में विदेश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के व्यावसायिक हितों का ध्यान न रखें। हमारा एक हित है - राष्ट्रहित। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बढ़ती बेरोजगारी की इस स्थिति में छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा भी की जानी चाहिए। हमें स्व-रोजगारप्राप्त व्यापारियों के भाग्य को बंद नहीं करना चाहिए।

मैं एक अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा किए गए सर्वेक्षण की कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं उद्धृत करता हूं:

> "विदेशी निवेश पर सरकारी दस्तावेज की पृष्ठभूमि के विपरीत खुदरा सुपर मार्केट के वैश्विक और भारतीय अनुभव के सर्वेक्षण में उच्च तोलमोल/क्रय शक्ति के कारण होने वाले कदाचारों को उजागर किया गया है।"

जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत निवेश का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि मोलतोल की उनकी उच्च क्षमता, नकदी प्रचुरता और उनकी क्रयशक्ति के कारण कदाचार का होना अवश्यंभावी है। खुली प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। रोजगार हानि की सम्भावना है। वे उत्पादकों के जोखिम में भागीदार बनने को अनिच्छुक होंगे। यह उत्पादकों और किसानों के लिए स्वर्ग साबित होने नहीं जा रहा है बल्कि यह उनके हितों के बिल्कुल प्रतिकूल होगा।

इसलिए, इस संदर्भ में मेरा अपने सम्माननीय वरिष्ठ सहयोगी, भारत के वित्त मंत्री जो लम्बे समय से इस पद पर विद्यमान हैं और मेरी समळा से जिनकी प्राथमिकता राष्ट्रहित है, से निवेदन है कि कृपया वे इस मामले पर और अधिक चिन्ता और सावधानी से विचार करें। कृपया यह नहीं कहें कि चूंकि यह विचार वामदल से आया है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं करेंगे। हम इस पर और अधिक सावधानी से विचार करें। हम इसे रोकें। मैं देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवेश, जिससे राष्ट्रहित को क्षति पहुंचेगी, को रोकने का आह्वान करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में सावधान करने में पूरी सभा मेरे साथ है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को देश की करीब 10 करोड़ जनता के भाग्य को बर्बाद व नष्ट करते हुए इतनी आसानी से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाए गए मामले के साथ शेख सैदुल हक और श्री बीरेन्द्र कुमार के नाम सम्बद्ध किए जाएं।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, गुरुदास बाबू की बातों का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी का जो बयान आया है, मैं बार-बार कहता हूं कि जितनी मेरी उम्र है, उससे ज्यादा उनका पार्लियामैंट्री अनुभव है। अभी पार्लियामैंट में शेर-ओ-शायरी का दौर चल रहा है। उस तरफ से शेर आ रहे हैं, इस तरफ से शेर आ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप शायरी में सवाल पूछ लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: महोदया, मुळे 4-5 मिनट बोलने का मौका दे दीजिए।

गालिब का एक शेर है-

बस कि दुश्वार है कि हर काम का आसां होना
आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना।

इंसान खो गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं - रेहड़ी वाले, पटरी वाले, पान वाले, घरेलू बर्तन वाले, जेवर वाले की बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी, आप इस चीज को समळोंगे, क्योंकि आप भी गांव जाते रहते हैं। आप भी गांव के हैं और मैं भी गांव का एक लड़का हूं। क्या हो रहा है? गुरुदास बाबू जिन 8 करोड़ लोगों की बात कर रहे

थे, उन 8 करोड़ लोगों में से कम से कम 24 करोड़ परिवार पलते हैं। यह कन्सर्न किसलिए आया है। आपका बयान है, लेकिन आपका इकोनॉमिक सर्वे, कहा जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का बाइबिल होता है। उसके पेज नम्बर 246 में आपने खुद ही इस कन्सर्न को जन्म दिया। आप यह कह रहे हैं कि रिटेल सैक्टर को खोलना चाहिए। जब आपने खोला, इस देश में पैप्सी, कोक, मैकडॉनल्ड, के.एफ.सी., पिजा हट आ गया। मेरा सवाल है कि उससे कितने किसानों को फायदा हुआ है और कितने लोगों को रोजगार मिला है। यदि पूरी दुनिया की बात करेंगे, हमारा बजट 12 लाख करोड़ का है और 19 लाख करोड़ की रिटेल मार्किट है। हमारे देश से ज्यादा मार्किट है। स्वाभाविक तौर पर वॉलमार्ट होगा, टिस्को होगा, किंगफिशर होगा, जो बड़ी-बड़ी जायंट कम्पनियां होंगी, वे करेंगी। हमने जिस सैक्टर को खोला है, अभी आप इंश्योरैंस सैक्टर खोलने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 26 प्रतिशत से शुरू करते हैं और उसे 100 प्रतिशत कर देते हैं। पावर जैसे सैक्टर में हम 100 प्रतिशत चले गए हैं, टूरिज्म, होटल जैसे सैक्टर में 100 प्रतिशत चले गए हैं। कितना एफ.डी.आई. आया है? बिहार में एक कहावत है-

न खाइब न खाइब खाइब भरथारी

न सूतब न सूतब सूतब गोरधारी।

हम कहते हैं कि यह काम नहीं करेंगे, वह काम नहीं करेंगे। इसी पार्लियामैंट में कहा गया कि 26 प्रतिशत से ज्यादा इंश्योरैंस सैक्टर नहीं खोलेंगे। अभी हमारी कमेटी देख रही है और उसे 49 प्रतिशत करने की बात हो रही है। हो सकता है कि वह 100 प्रतिशत हो जाए। सवाल यह है कि कमिटमैंट का क्या होता है। इस पार्लियामैंट में जब हम कमिटमैंट देते हैं और एफ.डी.आई. में क्या है। अमरीका में 80 प्रतिशत व्यापार संगठित क्षेत्र में है।

इंग्लैंड में 80 परसेंट है, पश्चिमी यूरोपीय देश में 70 परसेंट है, ब्राजील में 40 परसेंट है और कितने लोगों को 52 लाख करोड़ रुपये का रोजगार प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदया, अमेरिका में केवल 12 लाख लोग नौकरी करते हैं। हमारे यहां 24 करोड़ परिवार हैं, तो क्या हम इन सारे लोगों को बेरोजगार कर देना चाहते हैं? जिस पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं, नये-नये इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, जो लड़के इनसे पढ़कर निकलेंगे, क्या हम उन्हें मनरेगा का मजदूर बना देना चाहते हैं? क्या बी.ए., एम.ए. पास करके कोई आदमी मनरेगा का मजदूर बनेगा? सवाल यह है कि उन परिवारों का क्या होगा?

दूसरा सवाल यह है कि इसी इकोनॉमिक सर्वे में कुछ कंट्रीज का नाम लिया गया है कि फलां-फलां जगह खोला है। अब उसकी हालत क्या है, यह आप देख लीजिए? थाईलैंड कह रहा है कि वहां भारी संख्या में लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। मैं उसी इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, जिसमें यह बात कही गयी है। चीन वॉलमार्ट के कारण लगातार परेशान हो रहा है। फ्रांस में 17 परसेंट ही किराने की दुकानें बची हैं। डेनमार्क में 3 हजार दुकानें ही बची हुई हैं, सब खत्म हो गया है। अमेरिका ने एक कानून बना दिया है कि जब तक लोकल बॉडीज से परमीशन नहीं लेंगे, तब तक आप दुकान नहीं खोल सकते। इकोनॉमिक सर्वे में जो कन्सर्न दिया गया है, उसके बाद जिस कमेटी की रिपोर्ट की बात गुरुदास बाबू कर रहे थे, जो आपकी कमेटी की एक रिपोर्ट है, उसमें 180 लोगों में से केवल 65 लोगों ने कहा कि यह होना चाहिए। रेस्ट लोगों ने और आप ही के मंत्रालय ने..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री निशिकांत दुबे: मैं यह कह रहा हूं कि यह उस मंत्रालय की रिपोर्ट है। आपकी जो कमेटी की रिपोर्ट है, वह मेरे पास है। उसमें कोई एक मंत्रालय ने कहा है, जैसे मिडियम स्केल मंत्रालय जो सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय है, वह कह रहा है कि एफ.डी.आई. नहीं होना चाहिए। आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बारे में चुप है। मेरा यह कहना है कि जब आपका खुद का मंत्रालय, जिस कमेटी की रिपोर्ट की बात आपने अपने जवाब में कही है, वह कमेटी की रिपोर्ट खुद कह रही है कि एफ.डी.आई. होना कहीं से भी अच्छा नहीं है, तो इसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गयी कि इकोनॉमिक सर्वे में आपने इसका समर्थन किया? मिर्जा गालिब के शेर के बारे में आगाजान ऐश हमेशा कहा करते थे कि-

अगर अपना कहा तुम आप ही समळो तो क्या समळो,

मजा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समळो,

कलामे मीर समळो और जबाने मिर्जा समळो,

अगर इनका कहा ये आप समळो या खुदा समळो।

अध्यक्ष महोदया: बहुत अच्छा। अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपने बहुत बढ़िया शेर बोला।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात कन्क्लूड कर रहा हूं। गरीब पर बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप शेर बोलने के बाद बैठ जाइये। आपने बहुत अच्छा शेर बोल दिया और वह समळा भी गये, इसलिए आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, मैं दो मिनट में केवल अपनी बात कन्कलूड करना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि आम आदमी की सरकार है, हम आम आदमी की बात करते हैं। हम फार्मर्स की बात करते हैं, 40 परसेंट लोग गरीब हैं। यदि ए.पी.एल. फैमिली को देखेंगे, तो मुळो लगता है कि हम जिन फार्मर्स की बात करते हैं, 10 परसेंट लोगों की बात करते हैं, 10 परसेंट वाइट कॉलर लोगों की बात करते हैं, हमारे बारे में लोगों की प्रतिक्रिया, नजरिया हमेशा बदलता जा रहा है। मैं हरिवंश राय बच्चन की एक कविता को कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। जो हमारे बारे में जनता समळा रही है, वह यह है कि -

उजाड़ से लगा चुका, उम्मीद मैं बहार की,
निदाघ से उम्मीद की, बसंत के बयार की,
मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुळो लगी,
अंगार से लगा चुका, उम्मीद मैं तुषार की।

कहीं ऐसा न हो जाये कि जनता को पोलिटिशियन के बारे में, हमारे बारे में सुधारना हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतनी सुंदर कविता कहने के बाद अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: इन्हीं शब्दों के साथ जयहिन्द, जयभारत।

अध्यक्ष महोदया: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, आप हमें भी बोलने का मौका दें।...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे: आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं और कालिंग अटैंशन के बारे में जानते हैं। आप केवल एसोसियेट कर दीजिए।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, इस विषय के साथ मैं अपने आप को एसोसियेट करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: सर्वश्री सैयद शाहनवाज हुसैन, अर्जुन राम मेघवाल, वीरेन्द्र कश्यप, कीर्ति आजाद, जितेन्द्र सिंह बुन्देला और श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट इस विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम, मैं अपने युवा मित्र, श्री निशिकांत दुबे के प्रति वाद-विवाद में उनके इस योगदान के लिए आभार प्रकट करता हूं, परंतु दुर्भाग्य से मैं उनकी तरह शेर व शायरी में निपुण नहीं हूं। इसलिए मुळो सरल गद्य भाषा में बोलना होगा। मेरी समळा से उनकी सभी चिन्ताओं तथा गुरुदास बाबू की चिन्ताओं, जिन्हें उन्होंने वाक्पटुता के साथ व्यक्त किया था, का ध्यान मेरे वक्तव्य के पैरा 4 में रखा गया है। यह बहुत ही छोटा वक्तव्य है जिसमें प्रस्तावना के पैरा सहित पांच पैरा हैं।

पैरा 4 में मैंने कहा है कि:

"समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट में मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई है। इसमें चर्चा-पत्र हेतु प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण किया गया है, उनका मिलान किया गया है और उनका सारांश तैयार किया गया है। सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।"

मेरे वक्तव्य में यह बताया गया है।...*(व्यवधान)* कृपया मुळो बाधित न करें। आप मनमर्जी से व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। यह सभा उस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है जिस पर सरकार ने निर्णय लिया हो। पूरे सभ्य संसार में, निर्णय पर चर्चा की जाती है और निर्णय की प्रक्रिया पूर्णत: कार्यकारिणी के क्षेत्राधिकार में है।

निर्णय लिए जाने के पश्चात् जब यह सार्वजनिक होता है तो निश्चित तौर पर जनता इस पर वाद-विवाद, चर्चा, बहस कर सकती है। वह इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। परन्तु जब यह चर्चा की प्रक्रिया में हो तथा जब यह बताया जाए कि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है तो चिन्ता का प्रश्न कहां है। क्या कोई खोखला आश्वासन दिया जा सकता है?

क्या मैं अपने माननीय मित्र से यह पूछ सकता हूं कि वर्ष 1997 में जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पहली बार

लागू किया गया था तो क्या उनका दल सरकार का हिस्सा नहीं था। क्या इनके दो प्रख्यात नेता उस सरकार में नहीं थे। वर्ष 1997 से, सत्तासीन हुई विभिन्न सरकारों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में विभिन्न नीतियां तैयार की हैं। इसमें किसी एक सरकार का योगदान ही नहीं है। यह सम्पूर्ण नहीं हो सकता है। अभी भी बहुत कुछ किया जाना है, परन्तु इस महत्वपूर्ण आर्थिक नीति पर यथासंभव एक व्यापक आम सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह सम्पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं यह दावा नहीं करता कि यह सम्पूर्ण है।

अब, प्रथमतः यह प्रस्ताव समुचित प्रशासनिक मंत्री को संबोधित किया जाना चाहिए था, वह भी विशेषकर तब जब यह एक वरिष्ठ सदस्य की ओर से आया है। इससे संबंधित विभाग औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विषय उनसे संबंधित है न कि वित्त मंत्रालय से। निस्संदेह, वित्त मंत्रालय प्रत्येक मंत्रालय पर निगरानी रखता है किन्तु सटीक रूप से संबंधित मंत्रालय वित्त मंत्रालय नहीं है। यदि वे मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे तो समुचित मंत्री वाणिज्य तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के प्रभारी मंत्री होने चाहिए थे न कि वित्त मंत्री। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां तक कि चर्चा-पत्र भी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा परिचालित किए गए थे।

चर्चा पत्र में कुछ भी गलत नहीं है। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि विकसित देशों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विभिन्न अध्ययन किए जा रहे हैं। परिस्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है और यह एक जटिल विषय है। उन्होंने अनेक आंकड़े उद्धृत किए हैं। मैं उस पहलू पर नहीं जा रहा हूं। मैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य संगठनों द्वारा की जा रही कोरी चर्चाओं पर नहीं जा रहा हूं। परन्तु उदाहरणस्वरूप, यू.एन.सी.टी.ए.डी. ने इसके बारे में चर्चा की है। निश्चित तौर पर माननीय सदस्य यूनाइटेड नेशन्स सेन्टर ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट नामक इस संगठन की प्रकृति और चरित्र से अवगत होंगे जो कि मुख्यतः विकासशील देशों का संगठन है। विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने से पहले 'गेट' और यू.एन.सी.टी.ए.डी. थे। 'गेट' पर्याप्ततः विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता था और यू.एन.सी.टी.ए.डी. विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता था। यू.एन.सी.टी.ए.डी. की रिपोर्ट क्या है? यू.एन.सी.टी.ए.डी. की रिपोर्ट में यह भी सुझाया गया है कि सादी (इनफार्मल) अर्थव्यवस्था में नौकरियों की संख्या कम होने की तुलना में रोजगार सृजन अधिक होगा क्योंकि बड़े पैमाने के खुदरा व्यापारी अनेक स्टॉल, सुविधा केन्द्र और अन्य सुविधाओं को आपके पड़ोस में ले आएंगे।

इसके अतिरिक्त, बेहतर नौकरियों का सृजन होगा जैसे ऐसी नौकरियां जिनमें प्रशिक्षण, दक्षता हस्तांतरण, सामाजिक सुरक्षा लाभ की व्यवस्था हो विशेषकर महिलाओं को लाभ होगा जिनका सेवाओं के बंटन में आधिपत्य है। मैं प्राइसवाटर हाउस कूपर की रिपोर्टें पढ़ रहा हूं। मैं उस संगठन की रिपोर्टें पढ़ रहा हूं जो विकासशील देशों की हितों का ध्यान रखता है। तथापि मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि सरकार ने अभी इस मुद्दे पर कोई राय बिल्कुल नहीं बनायी है क्योंकि यह समस्या वास्तव में जटिल है। इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला सकल घरेलू उत्पाद 7,91,470 करोड़ रुपये है, इसमें वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 तक औसत 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सिर्फ खुदरा व्यापार से यह धनराशि 4,28,395 करोड़ रुपये है। इसमें बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। संगठित खुदरा बिक्री काफी अधिक करीब 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है और इस प्रकार यह वर्ष 2003-04 के 315 बिलियन रुपये से बढ़कर 2006-07 में 598 बिलियन रुपये हो गई है और परिणामतः कुल खुदरा व्यापार में राज्य के संगठित खुदरा व्यापार की भागीदारी काफी बढ़ी है। यह अध्ययन किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है बल्कि हमारे अनुसंधान संगठनों में से एक आई.सी.आर.आई.ई.आर. द्वारा किया गया है। इस क्षेत्र से 33.1 मिलियन से अधिक लोग जुड़े हैं। यह इस समस्या की जटिलता है।

एक चर्चा पत्र जारी किया गया, विभिन्न मत प्राप्त हुए तथा मुळे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि हां, समिति ने स्वयं यह बताया था कि समिति से संपर्क करने वाले लोगों और प्रतिवादियों में, 109 विरोध करने वाले लोगों में से 73 एक ही श्रेणी के थे - यह संख्या काफी थी और ये बिल्कुल बंटे हुए थे - किसान थे, छोटे व्यापारी थे, ग्रामीण थे, स्व-सहायता समूह थे। इन श्रेणियों के लोगों ने कहा कि मल्टी ब्रांड में खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सिंगल ब्रांड में खुदरा पहले से है। प्रश्न मल्टी ब्रांड से जुड़ा है। उन्होंने सुझाव दिया कि मल्टी ब्रांड में खुदरा व्यापार को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। खुदरा व्यापार में ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरों ने इसके विपरीत सुझाव दिया और कहा कि इससे स्थिति सुधरेगी।

इसलिए, मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि यह एक ऐसी समस्या है जिसमें राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को भी विश्वास में

[श्री प्रणब मुखर्जी]

लेना होगा। उनके विचारों को भी जानना होगा। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने हेतु व्यापक आम सहमति बनानी आवश्यक होगी। निश्चित रूप से सरकार व्यापक आम सहमति बनाए बगैर और व्यापक स्तर पर परामर्श किए बगैर यह निर्णय नहीं लेगी।

मैं अपने युवा मित्र की जानकारी हेतु यह बताना चाहता हूं कि कृपया हमेशा यह याद रखें कि जब कभी भी आप आर्थिक सर्वेक्षण से उद्धृत करते हैं, यह सरकार की सुन्दरता है कि यह दस्तावेज वित्त मंत्री के पर्यवेक्षण में तैयार किया जाता है। प्रत्येक शब्द पर वित्त मंत्री का स्वामित्व होता है परन्तु साथ ही साथ हमारी प्रणाली में हम अर्थशास्त्रियों, विश्लेषकों, पर्यवेक्षकों और सहयोगियों को पूरी स्वतंत्रता देते हैं और उनसे कहते हैं कि वे सरकारी मत के आधार पर पक्षपातपूर्ण विश्लेषण न करें और न ही अपने विश्लेषण को कमजोर करें बल्कि वे अपने विवेक का प्रयोग करें। इसलिए आप अक्सर यह पाएंगे कि सरकार की अपनी कथित नीतियां हैं परन्तु आर्थिक सर्वेक्षण उनके विपरीत विचार प्रकट कर सकता है। यह स्वतंत्र चिंतन के अच्छे संकेत हैं और हमें इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए।

महोदया, मुळो यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

पूर्वाह्न 11.55 बजे

विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): अध्यक्ष महोदया, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों के रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार का निवारण करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों के रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार का निवारण करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी. नारायणसामी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25-03-11 में प्रकाशित।

पूर्वाह्न 11.56 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। वे सदस्य जिन्हें आज 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गयी है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने को इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर पर्चियां दे दें। सिर्फ उन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनके लिए पर्चियां पटल पर निर्धारित समय के अंदर प्राप्त हो चुकी होंगी। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्दिष्ट): राज्य/केन्द्र सरकार के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारी केन्द्र/राज्य की किसी सेवा पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं। लंबे समय तक सेवा करने के बाद वे सेवानिवृत्त होते हैं और अचानक उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है और वे दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि ये सेवानिवृत्त कर्मचारी, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत अधिक से अधिक 265 रुपये से 1500/- रुपये की ही मासिक पेंशन पाने के पात्र होते हैं। यहां तक कि वर्षों तक इसमें कोई संशोधन या वृद्धि नहीं की जाती है। इस पर महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त सरकारी बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में उनके आहरित अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत और लागू महंगाई भत्ता दिया जाता है। इनकी पेंशन में समय-समय संशोधन भी किया जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो 10000 रु. से 60000 तक मासिक

*सभा पटल पर रखे माने गए।

वेतन अर्जित करने वाले सरकारी कर्मचारी को अन्य मौद्रिक लाभ के अतिरिक्त 5000 रुपये से लेकर 30000/- रुपये तक का मासिक पेंशन मिलता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारी को अधिकतम 1500/- रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, यद्यपि वह अपनी सेवा काल के दौरान प्रति माह 10 से 60 हजार रुपये का वेतन ले रहा होता है। यह भेदभाव न केवल अनुचित है बल्कि इससे व्यावहारिक तौर पर हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक मुसीबतों में फंस जाते हैं और उनके आश्रितों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। यह उचित समय है कि सरकार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू कर सकती है ताकि उन्हें उनकी दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाई जा सके।

(दो) केरल के चालाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों के आक्रमण से लोगों को संरक्षण देने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): केरल के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। साथ ही, इस राज्य में विशाल वन क्षेत्र है जिसमें प्रचुर वन्यजीव हैं। इस राज्य में जंगली जानवरों द्वारा लोगों पर हमला कर उन्हें मार देने के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में दो स्थानों, मलकापारा और कोडासेरी पर जंगली हाथियों द्वारा कुछ लोगों पर हमला कर उन्हें मार डाला गया। तेंदुए द्वारा घर में घुसकर बच्चों पर हमला करने की भी घटनाएं हो रही हैं। इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र और राज्य के अन्य भागों में जंगली जानवरों द्वारा फसल बर्बाद कर दिए जाना आम घटना हो चुकी है। वहां लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कई किसान अपनी आजीविका अर्जित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जंगली जानवरों द्वारा फसल बर्बाद कर दिए जाते हैं।

सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लोगों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करे तथा उनकी आजीविका सुनिश्चित करें।

अत: सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की तत्काल जांच करे और मानव जीवन को जंगली जानवरों के हमलों से बचाने के उपाय करें एवं प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह इस संबंध में राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दें।

(तीन) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद तथा बाराबंकी जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. निर्मल खत्री (फैजाबाद): उत्तर प्रदेश के मेरे लोकसभा क्षेत्र के जनपद फैजाबाद व बाराबंकी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम पिछले वर्ष से ही नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय शीघ्रातिशीघ्र व्यावहारिक प्रक्रियागत समस्याओं को दूर कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का काम प्रारंभ करायें।

(चार) जस्टिस ऊषा मेहरा कमीशन की सिफारिशों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए संसद में एक विधेयक पुर:स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नागरकुरनूल): भारत सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को क, ख, ग, घ समूहों में श्रेणीकृत करने संबंधी सभी मामलों की जांच करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऊषा मेहरा की नियुक्ति की गई थी।

न्यायमूर्ति ऊषा मेहरा आयोग की नियुक्ति आन्ध्र प्रदेश के लिए की गई थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दो वर्ष पहले भारत सरकार को सौंप दी थी जिसमें आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को क, ख, ग, घ श्रेणियों में श्रेणीकृत करने की सिफारिश की गई थी।

मैं संसद में आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का श्रेणीकरण क, ख, ग, घ समूहों में किए जाने के मुद्दों को काफी समय से उठाता रहा हूं। लेकिन इस संबंध में सरकार की ओर से कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह न्यायमूर्ति ऊषा मेहरा आयोग द्वारा दिए गये सुझाव के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन करके आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को श्रेणीबद्ध करने हेतु संसद में एक विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(पांच) महाराष्ट्र के भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मूलभूत नागरिक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए एक वित्तीय पैकेज शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी महाराष्ट्र में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य,

[श्री सुरेश काशीनाथ तवारे]

चिकित्सा को बेहतर बनाए जाने में केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। फिर भी केन्द्रीय मदद की भरपूर आवश्यकता है।

मेरा संसदीय क्षेत्र पावरलूम उद्योग का सबसे बड़ा प्रमुख केन्द्र है।

अतएव सरकार से आग्रह है कि जनहित में भिवंडी संसदीय क्षेत्र को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए।

(छह) तिरूनेलवेली (तमिलनाडु) से अम्बासमुद्रम-पापनाशम और नेदूमंगाडू होते हुए तिरूवनंतपुरम (केरल) को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): वर्तमान में तिरूनेलवेली और त्रिवेन्द्रम के बीच संपर्क (i) नगरकोईल और (ii) सेंगोताती से होते हुए हैं जो कि बहुत लम्बा है। अतएव दोनों राज्य वन क्षेत्र से होते हुए छोटे मार्ग की मांग काफी समय से लंबित है। वर्तमान में राज्य राजमार्ग तिरुनेलवेली-अम्बासमुइम-पापनाशम के बीच बना हुआ है। पापनाशम-नेदुमानगडु से पश्चिमी घाट खण्ड के साथ (तकरीबन 30 कि.मी.) कच्चा मार्ग मौजूद है। इस कच्चे मार्ग का उपयोग लकड़ी लाने-ले जाने और पैदल चलने के लिए किया जाता है और इसका तुरंत उन्नयन करने की आवश्यकता है जिससे कि इस मार्ग पर छोटे वाहनों के आवागमन की सुविधा मुहैया करायी जा सके। इस संबंध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है और संबंधित प्राधिकारी से अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित है। नेदुमानगडु से त्रिवेन्द्रम तक अच्छा संपर्क मार्ग पहले ही से मौजूद है।

इस मार्ग पर अर्थात् पापनाशन-नेदुमानगडु मार्ग पर बड़े पैमाने पर आवाजाही होगी और इससे आरक्षित वनों का संरक्षण भी होगा। प्रस्तावित नया घाट खण्ड निश्चित रूप देश के सभी भागों से पर्यटकों को आकर्षित करेगा और राजस्व अर्जित करेगा। इसके अतिरिक्त नजदीकी गांवों को भी विकास की नई संजीवनी मिल जाएगी।

उपरोक्त के मद्देनजर मेरा केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र तिरुनेलवेली-अम्बा समुद्रम-पापनाशम-नेदुमानगडु-त्रिवेन्द्रम होते हुए तिरुनेलवेली से त्रिवेन्द्रम को जोड़ने वाले राजमार्ग के निर्माण और उन्नयन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(सात) आन्ध्र प्रदेश के राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना को एक राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): आन्ध्र प्रदेश में आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संरक्षण मुहैया कराना और उन स्वास्थ्य परिचर्या समस्याओं का समाधान करना है जिनके कारण ऋणग्रस्तता होती है और प्रायः लोग विध्वंसक वित्तीय और वास्तविक अवसाद में फंस जाते हैं।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आरोग्यश्री स्वास्थ्य परिचर्या ट्रस्ट स्थापित किया है। तभी से स्कीम सफलतापूर्वक चलायी जा रही है। राजीव आरोग्यश्री कहलाने वाली देश में अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य स्कीम को न केवल विश्व भर से प्रोत्साहन मिला अपितु इसने देश के कई राज्यों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। इस स्कीम को सफलतापूर्वक लागू करने वाला एकमात्र राज्य आन्ध्र प्रदेश है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को कवर करने के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी द्वारा परिकल्पित राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा स्कीम को राष्ट्रीय स्कीम का दर्जा देने का अनुरोध किया है।

महोदया, इस सम्मानीय सभा के माध्यम से मैं सरकार से राजीव आरोग्यश्री को राष्ट्रीय स्कीम का दर्जा देने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) गुजरात में गैस आधारित उद्योगों को ओ.एन.जी.सी. द्वारा प्राकृतिक गैस के आवंटन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे गुजरात में स्टॉक में तैयार पड़े हुए नेचुरल गैस के भण्डार की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि गुजरात में बहुत सी उत्पादन कंपनियां ऐसी हैं जो गैस आधारित हैं। गैस के बिना यह कंपनियां नहीं चलाई जा सकती है। हमारे गुजरात में ओ.एन.जी.सी. जैसे महारत्न कंपनियां होने से भारी मात्रा में नेचुरल गैस तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन इस गैस का आवंटन बंद है जबकि ओ.एन.जी.सी. ने तैयार गैस के बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखकर भेज दिया है कि किस जोन में कितना तैयार गैस पड़ा हुआ है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय

को ओ.एन.जी.सी. के लिखने के बाद भी कोई अनुमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इससे गुजरात के व्यापारी परेशान हो रहे हैं और ओ.एन.जी.सी. को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इससे हमारे देश के राजस्व को भी घाटा हो रहा है। इसलिए मैं यहां माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द गुजरात में तैयार नेचुरल गैस के आवंटन के लिए अनुमति दी जाए ताकि वहां के परेशान व्यापारियों को रोजगार एवं देश को राजस्व का घाटा होने से बचाया जा सके।

(नौ) राजस्थान के बीकानेर में शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहकों के खातों के निपटान में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में बैंकिंग नियमों के तहत अनुमति प्राप्त करके एक अरबन को-आपरेटिव बैंक की लगभग 30 वर्ष पूर्व स्थापना हुई थी। बीकानेर के नागरिकों ने यह जानकार कि यह बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस नीति के तहत स्थापित हुआ तथा नाबार्ड इसे पुनर्वित्त उपलब्ध करवाता है अत: यह बैंक सरकारी या सरकार के नियंत्रण में होगा, अपने खाते भी खुलवाये और अपनी मेहनत से कमाई राशि में से बचत करते हुए इस अरबन को-ऑपरेटिव बैंक में जमा भी करवाया। बीकानेर के नागरिकों के पास बैंक की रसीदें भी हैं, लेकिन नागरिक जो बैंक के ग्राहक हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है क्योंकि बैंक लिक्विडेशन के कारण बंद हो चुका है। बैंक के कर्मचारी साल भर से भी अधिक समय से हड़ताल पर हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। इधर ग्राहकों के जमा पैसे जमाकर्ताओं को नहीं मिल रहे हैं। बैंक अभी लिक्विडेशन में है, राजस्थान सरकार का सहकारी विभाग इसकी जांच कर रहा है। मेरे द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को भी इस संबंध में पत्र लिखे गये हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय से सिर्फ इतना ही जवाब आता है कि हम मामले को दिखवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से यह मांग करता हूं कि बीकानेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के प्रकरण में वित्त मंत्रालय हस्तक्षेप करे। ग्राहकों की जमा राशि वापस लौटाने की कोई योजना बनाये और राज्य सरकार को निर्देशित करे कि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक बीकानेर के विवादित प्रकरण का समय सीमा में निस्तारण करे जिससे भविष्य में किसी बैंक ग्राहक के साथ छलावा नहीं हो सके और उसकी मेहनत की कमाई व्यर्थ में नहीं जा सके।

(दस) बी.पी.एल. परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधि का आवंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदया, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास हेतु दी जाने वाली सहायता वर्तमान महंगाई एवं निर्माण सामग्री के दामों में बेतहाशा वृद्धि के कारण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो सहायता दी जा रही है, उसमें एक कमरा भी नहीं बनता है। पहाड़ी क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक स्थिति, विषम जलवायु, इन क्षेत्रों में लकड़ी की कमी के कारण सीमेंट और कंक्रीट से आवास बनाने, वहां सड़कें बहुत कम होने एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में निर्माण सामग्री पीठ पर अथवा खच्चरों पर लादकर ढोने के कारण बी.पी.एल. परिवारों और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मकान बनाने में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है।

मेरा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से आग्रह है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों को दी जाने वाली सहायता को मैदानी भागों में कम से कम एक लाख रुपए एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों हेतु 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् कम से कम 1 लाख 25 हजार रुपए किया जाये।

(ग्यारह) देश में गरीबों के कल्याण के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार हरदम बढ़ती विकास दर और आम आदमी की बात करती है। लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जो सर्वे किया उसमें कहा गया है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र के 22 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। इतना ही नहीं विश्व की कुल आबादी के 25 प्रतिशत भुखमरी के शिकार लोगों का 25 प्रतिशत हिस्सा भारत में ही रहता है। योजना आयोग ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 27 फीसदी बताई। सरकार द्वारा गठित डॉ. सुरेश तेंडुलकर ने इसे नकार कर देश में 37 प्रतिशत गरीब होने का अनुमान निकाला। अर्जुन सेन गुप्ता समिति तो 70 फीसदी गरीब होने का निष्कर्ष निकालते हैं। इसका मतलब देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है, देश के विकास में विषमता के कारण ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का विरोध करती है।

[श्री ए.टी. नाना पाटील]

"सेव द चिल्ड्रन" रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना पांच हजार से भी अधिक बच्चे कुपोषण के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में प्रतिवर्ष 25 लाख शिशु अकाल मृत्यु के भेंट चढ़ जाते हैं और खाद्यान्न उपलब्धता में हो रही कमी और महंगाई के कारण भोजन पर कमाई का 55 से 70 फीसदी तक खर्च करना देश में गरीबों की उपेक्षा की कहानी को दोहराता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसका गंभीर संज्ञान देकर गरीबों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए घोषणा के बजाय विशेष अभियान और प्रत्यक्ष कार्ययोजना चलाये।

(बारह) देश में खाद्य मदों के अत्यधिक अपमिश्रण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): देश की राजधानी दिल्ली सहित देश में बिक रही सब्जियों एवं फलों में खतरनाक रसायन पाये जा रहे हैं। विशेष रूप से ऑक्सिटोक्सिन की मात्रा पाये जाने के समाचारों से लोगों में काफी बैचेनी हो रही है क्योंकि इन रसायनों से तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं। लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही हैं तथा फल मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के स्थान पर हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। आई.ए.आर.आई. की रिपोर्ट से ज्यादा मात्रा में रसायनों के उपयोग की बात सामने आई है। पिछले दो सालों में 11 हजार नमूनों की जांच की गई है ताकि 1344 लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किये गये किंतु कितने लोगों को फलों एवं सब्जियों में रसायनों के उपयोग के कारण दंडित किया गया, इसकी जानकारी नहीं हो सकी।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही सारे देश में तंत्र की स्थापना कर मिलावटों की जांच के लिए नमूना उठाने एवं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के कदम उठाये।

पूर्वाह्न 11.58 बजे

सिक्का निर्माण विधेयक, 2009

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब मद सं. 39, सिक्का निर्माण विधेयक, 2009।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सिक्का निर्माण और टकसाल, सिक्का निर्माण संरक्षण से संबंधित विधियों को समेकित करने और सिक्कों को गलाने या नष्ट करने का प्रतिषेध और उन्हें निर्गमित करने या रखने का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सिक्का निर्माण विधेयक, 2009 लोक सभा में 17 दिसम्बर, 2009 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था और वित्त संबंधी स्थायी समिति (एस.सी.एफ.) को भेजा गया था। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 31 अगस्त, 2010 को लोक सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। समिति की सिफारिशों की जांच की गयी और विधेयक में संशोधनों का प्रारूप तैयार किया गया और मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया जिसने उसे अनुमोदित किया।

वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधन किया जाने वाला यह विधेयक निम्नलिखित चार अधिनियमों और एक अध्यादेश का समामेलन करता है:-

1. भारतीय सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906
2. छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971
3. धातु सिक्का अधिनियम, 1889
4. कांस्य सिक्का वैध मुद्रा अधिनियम, 1918; और
5. मुद्रा अध्यादेश, 1940

सभा के अनुमोदन से संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं:-

- केन्द्र सरकार को किसी भी स्थान पर टकसाल स्थापित करने की शक्ति प्रदान करना, जिसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा किया जाए।
- धातुओं अथवा मिश्रित धातुओं अथवा अन्य किसी पदार्थ से सिक्के बनाने का उपबंध करना ("किसी अन्य पदार्थ" का उपबंध समिति की सिफारिश पर तथा मुद्रा अध्यादेश, 1950 के निरसन पर एक रुपया के नोट को इसके क्षेत्राधिकार में लाने हेतु भी किया गया है);

- अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी भी टकसाल में 1000 रुपए से अनधिक मूल्य वर्ग के सिक्कों का निर्माण किए जाने का उपबंध करना;
- 1000 रुपए तक का भुगतान सिक्कों द्वारा किए जाने का उपबंध करना (पूर्व में किसी भी राशि तक भुगतान किए जाने का उपबंध था लेकिन लेन-देन में कठिनाइयों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर प्रतिबंध प्रस्तावित किया गया है);
- सिक्कों को गलाने और नष्ट करने से संबंधित अपराधों के लिए सात वर्ष तक के कारावास की सजा का उपबंध करना जो कि पांच वर्ष के निर्धारित कारावास के वर्तमान उपबंध का निस्तारण है;
- प्रस्तावित विधान के अंतर्गत निर्गमित सिक्कों को वैध-मुद्रा माने जाने का उपबंध करना;
- सिक्कों के कुछ वर्गों को वर्तमान में वैध-मुद्रा न बने रहने के लिए अधिसूचित करने हेतु केन्द्र सरकार को शक्तियां प्रदान करना; और
- पूर्वलिखित विद्यमान विधानों के निरसन का उपबंध करना।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, उसमें बहस की जरूरत नहीं है। आज समय की कमी है, इसलिए मैं समळाता हूं कि इसे पास कर दें और इसके बाद दूसरी बहस शुरू की जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि सिक्का-निर्माण और टकसाल, सिक्का-निर्माण के संरक्षण से संबंधित विधियों को समेकित करने और सिक्कों को गलाने या नष्ट करने का प्रतिषेध और उन्हें निर्गमित करने या रखने का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब, सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2

परिभाषाएं

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2 पंक्ति 2 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

'(क) "सिक्के" से अभिप्रेत किसी ऐसे सिक्के से है जो किसी धातु अथवा सरकार या सरकार द्वारा उसकी ओर से सशक्त किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मुहर लगे किसी अन्य पदार्थ से बना है और जो स्मारक सिक्के और भारत सरकार के एक रुपये के नोट सहित वैध मुद्रा है।

स्पष्टीकरण: संदेह दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि 'सिक्के' में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पोस्टल आर्डर और किसी बैंक, डाकघर या वित्तीय संस्था द्वारा जारी ई-मनी शामिल नहीं है;'। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 14 में,-

"धातु के टुकड़े" शब्दों के स्थान पर

"सिक्का" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 में,-

"अन्य धातु" शब्दों के स्थान पर

"अन्य पदार्थ" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 20 में,-

"कोई संगठन" शब्दों के स्थान पर

"कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाया और निगमित किया गया भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड अथवा कोई अन्य संगठन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। (6)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 टकसालें स्थापित और समाप्त करने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 32 में,-

'भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग' शब्दों के स्थान पर "उसके" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए: (7)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 सिक्कों के मूल्य वर्ग, उनकी विभाएं, डिजाइन और संरचना

संशोधन किए गए:-

पृष्ठ 3, पंक्ति 8 में,-

"ऐसे संरचना की मिश्रित धातुओं" शब्दों के स्थान पर

"ऐसी संरचना की मिश्रित धातुएं अथवा अन्य कोई पदार्थ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं;" (8)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 सिक्का कब वैध-मुद्रा है

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 3, पंक्ति 15 में,-

"किसी भी धनराशि" शब्दों के पश्चात् "एक हजार रुपये से अनधिक" शब्द अंत:स्थापित किए जाएं; (3)

पृष्ठ 3, में, 22 से 38 पंक्तियों का लोप किया जाए, (10)

पृष्ठ 4, पंक्ति 1 में,-

"(4)" के स्थान पर

"(2)" प्रतिस्थापित किया जाए; (11)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 9 : वजन में कम हुए या विरूपित किए गए सिक्कों को काटने का कतिपय व्यक्तियों की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 8 से 10 का लोप किया जाए। (12)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 अपने कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की टकसाल की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 16 में,-

"सरकार द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त किया गया टकसाल का कोई अधिकारी" शब्दों के स्थान पर

"टकसाल" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए (13)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 16 कंपनियों द्वारा अपराध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 14 में,-

यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता। (14)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

खंड 17 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 23 कठिनाईयों की पहचान करने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 14 में,-

"दो" शब्दों के स्थान पर

"पांच" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए (15)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 31 से 33 का लोप किया जाए (16)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 और 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 27 निरसन और व्यावृत्ति

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 9, पंक्ति 8 के पश्चात्-

"(घ) मुद्रा अध्यादेश, 1940" 1940 का अध्यादेश IV" अन्त:स्थापित किया जाए। (17)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

पृष्ठ 9, पंक्ति 9 में,-

"घ" शब्द के स्थान पर

"ङ" प्रतिस्थापित किए जाएं; (18)

पृष्ठ 9, पंक्ति 10 में,-

"अधिनियमितियों" शब्द के पश्चात्

"और अध्यादेश" शब्द अंत:स्थापित किए जाएं; (19)

पृष्ठ 9, पंक्ति 12 में,-

"निरक्षित अधिनियमिति" के पश्चात् अथवा अध्यादेश" शब्द अंत:स्थापित किए जाएं (20)

पृष्ठ 9, पंक्ति 23 में,-

"किसी अधिनियमिति" के पश्चात्

"अथवा अध्यादेश" शब्द अंत:स्थापित किए जाएं (21)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 विद्यमान सिक्कों का बने रहना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 9, पंक्ति 31 से 34 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं:

"विद्यमान सिक्कों का बने रहना।

28, धारा 27 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों और अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी'

1940 का अध्यादेश IV

(क) कथित अधिनियमितियों के अधीन जारी सभी सिक्के: और

[अध्यक्ष महोदया]

(ख) करेंसी अध्यादेश, 1940 के अधीन जारी भारत सरकार का एक रुपये का नोट,

जो, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 के आरंभ होने से ठीक पहले वैध मुद्रा थी, को सिक्के के समान समळा जाएगा तथा इस अधिनियम के तत्सम उपबंधों के अंतर्गत सभी प्रयोजनों अथवा भुगतान के लिए वैध मुद्रा बना रहेगा।" (22)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 -

"2009" शब्दों के स्थान पर

"2011" प्रतिस्थापित किया जाए (2)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, -

"साठवें" के स्थान पर 'बासठवें' प्रतिस्थापित करें। (1)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन - जारी

(दो) जाति आधारित जनगणना की पद्धति पर निर्णय लिए जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब 'शून्य काल'। श्री मुलायम सिंह यादव।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और दारा सिंह जी ने जातीय आधार पर जनगणना में समावेश करने के लिए नोटिस दिया था। मुंडे जी ने भी आपको दिया था। आपने कहा था प्रोफॉर्मा बना कर दीजिए और हमने दिया। अब निर्णय क्या लिया गया है? आज सत्र समाप्त हो जाएगा और जनगणना शुरू हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): हम एक या आधे मिनट में अपनी बात कहेंगे। माननीय नेता सदन यहां बैठे हैं। हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। मैं, शरद यादव जी, मुंडे जी और लालू जी आपके पास गए थे। आपने कहा था कि जातीय आधार पर जनगणना होगी लेकिन अब जनगणना खत्म होने वाली है। बहुत काम हो गया है। हमने प्रोफार्मा भी दे दिया है। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बहुत धन्यवाद। आप एक ही विषय उठाइए। आपने जो नोटिस दिया था, वह विषय उठाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं माननीय सदस्यों को सिर्फ यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने उनसे प्रो–फार्मा प्राप्त किया। तत्पश्चात् श्री शरद यादव ने उस प्रो–फार्मा में कुछ संशोधनों के साथ मुळो एक अन्य पत्र लिखा। मैंने गृह मंत्री को प्रत्येक चीज दे दी है। इसे जाति आधारित जनगणना में शामिल किया जाएगा। इसलिए, प्रो–फार्मा के संबंध में दिए गए आपके सुळावों का ध्यान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदया: श्री कीर्ति आजाद

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, क्या आपकी बात पूरी नहीं हुई है?

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): मैंने आपको नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपने जो नोटिस दिया है, उसके बारे में मैटर उठाया है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, मैंने उसके बारे में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया: आप दो विषय मत उठाइए। आप इतने वरिष्ठ मैम्बर हैं। अब आप बोलिए। आप दो विषय मत उठाया कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): गृह मंत्री जी का हवाला दिया है, हमें उन पर विश्वास नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: लालू जी आप बैठ जाइए। आपका नोटिस भी नहीं है। आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सिर्फ श्री मुलायम सिंह यादव जी की बातों को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अन्य कोई भी बात कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)...**

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदया, यह बहुत खेदजनक बात है कि देश के गृह मंत्री एकता के खिलाफ बोलें। इससे ज्यादा हमारे लिए अफसोस की बात नहीं हो सकती है। कई ऐसे बयान हैं जिनमें वे बोले हैं, अखबार में है - "काश इस देश में उत्तर भारत न होता, भारत का विकास तेजी से होता अगर इसमें केवल दक्षिण और पश्चिम हिस्से ही होते।" गृह मंत्री चिदम्बरम ने यह बात अमेरिकी राजदूत तिमोथी रोएमर से कही, विदेशी अमेरिकी राजदूत से कहा।...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं, यह नेता सदन भी बैठे हैं, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं, गृह मंत्री होकर यह बात कहें अमेरिका के राजदूत से कि -"उत्तर भारत नहीं होता तो हमारा भारत विकास कर जाता।"...*(व्यवधान)* मैं इस बारे में आपसे कहना चाहता हूं कि कोई और विकल्प नहीं है, ऐसे अगर देश का गृह मंत्री हैं तो उसे हटाइए या वे माफी मांगें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री कीर्ति आजाद, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री कीर्ति आजाद की बातों के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अपराह्न 12.15 बजे

इस समय श्री सुशील कुमार सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: अब श्री कीर्ति आजाद बोलेंगे।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा): मैडम मैं अपनी बात सदन में कैसे रखूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 1.00 बजे पुनःसमवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे पुनःसमवेत हुई।
(**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*)

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर के उत्थान की आवश्यकता - जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 40 पर चर्चा करेंगे। श्री सलमान खुर्शीद।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति जी, विकीलीक्स ने खुलासा किया है...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी आ गए हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.01 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने इस बात को सभा की जानकारी में लाया है और इसका जवाब आएगा। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): सभापति जी, हमने बात की है और मुलायम सिंह जी ने भी कहा था कि विकीलीक्स की बात पर हम विश्वास न करें। कहां कौन क्या कर रहा है, यह इन्होंने कहा था। हम उस पर विश्वास न करें।...*(व्यवधान)* मैं यह बात कहूंगा कि विकीलीक्स ने कहां क्या कहा, जैसा इन्होंने कहा था, उस बात पर विश्वास मत करें।...*(व्यवधान)* देश को चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए हम विकीलीक्स पर विश्वास न करें। देश का विकास विकीलीक्स ने नहीं करना है...*(व्यवधान)* आपने तो कहा था। यह कुछ भी नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ की बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया इस प्रकार न बोलें। यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। आपने इसे सभा की जानकारी में लाया है। आपने यह काम किया है। इस पर सभा का ध्यान गया है। अब मैं नियम 193 के अधीन चर्चा का उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री महोदय को पुकारता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सलमान खुर्शीद: सभापति जी, मेरा आपसे आग्रह है कि मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से निवेदन

करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यह प्रस्ताव इनकी तरफ से आया था...*(व्यवधान)* अल्पसंख्यकों के बारे में आप लोगों की जो चिन्ता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सिर्फ माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री सलमान खुर्शीदः माननीय सदस्यों ने अल्पसंख्यकों के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके लिये मैं आप सब का आभार प्रकट कर रहा हूं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को न ठुकरायें। हमारे सदन के बाहर लोग क्या कहेंगे? सदन के बाहर आप लोगों का चेहरा देखकर क्या कहेंगे कि आप लोगों ने अल्पसंख्यकों के बारे में चिन्ता जताई है परन्तु उस पर आप सहयोग देने के लिये तैयार नहीं हैं।

सभापति जी, कल बहस के दौरान बात आयी थी कि क्या बजट का उचित हिस्सा अल्पसंख्यकों के लिये दिया जा रहा है? मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश के सम्पूर्ण बजट में भी अल्पसंख्यकों का अधिकार है।

हमने 15 नुकाती कार्यक्रम बनाया है।...*(व्यवधान)* हमने जो 15 प्वाइंट प्रोग्राम बनाया है,...*(व्यवधान)* उस 15 प्वाइंट प्रोग्राम के तहत जहां-जहां भी विकास की जितनी भी धनराशि लगती है, उसे मुद्रा में, 15 प्रतिशत की मुद्रा में अल्पसंख्यकों के लिए समर्पित किया जाता है...*(व्यवधान)* तो सभी मंत्रालयों में 15 प्रतिशत उस मुद्रा को टारगेट बनाया जाता है। ...*(व्यवधान)* हाउस को इस बात को सुनकर प्रसन्नता होगी कि 15 प्वाइंट प्रोग्राम में अगर हमने वर्ष 2007-08 में छह हजार करोड़ रुपया अल्पसंख्यकों के लिए समर्पित किया था।...*(व्यवधान)* तो आज वह 21 हजार करोड़ रुपया हो चुका है।...*(व्यवधान)* जहां पर फाइनेंस की बात नहीं है कि धनराशि प्राप्त नहीं है,...*(व्यवधान)* यह कहना कि हमें डेवलपमेंट के लिए धनराशि नहीं मिल पाती, वहां प्रायोरिटी सेक्टर लोन में आज एक लाख 17 हजार करोड़ रुपया अल्पसंख्यकों को प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में दिया जा चुका है।...*(व्यवधान)* यह कहना कि हम अल्पसंख्यकों के लिए धनराशि आबंटित नहीं करा रहे हैं, यह सरासर गलत होगा।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह बात भी हुई कि सात हजार करोड़ रुपया दिया गया है।...*(व्यवधान)* और जो सात हजार करोड़ रुपया हमारे प्लान में दिया गया है, वह पूरा खर्च नहीं हो रहा है,...*(व्यवधान)* उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस पंचवर्षीय प्लान के पूरे होने तक सात हजार करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि हम अल्पसंख्यकों पर लगा सकेंगे।...*(व्यवधान)* उसी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि दो हजार साठ सौ पचास करोड़ रुपया बजट एस्टीमेट्स में इस वर्ष के लिए रखा गया है।...*(व्यवधान)*

महोदय, जहां तक एजुकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूंगा...*(व्यवधान)* कि पिछले वर्ष की जो हजारी प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स थीं, उसमें हमने 20 लाख का टारगेट रखा था,...*(व्यवधान)* लेकिन हम 37 लाख से अधिक स्कॉलरशिप्स अभी तक दे चुके हैं।...*(व्यवधान)* जहां 450 करोड़ रुपये का हमने फाइनेंशियल टारगेट रखा था,...*(व्यवधान)* इस वर्ष हमने उसे 600 करोड़ रुपया कर दिया है।...*(व्यवधान)* इसी तरह से पोस्ट-मैट्रिक में जहां हमने पिछले वर्ष चार लाख का लक्ष्य रखा था, उसमें हम तकरीबन पांच लाख का लक्ष्य पूरा कर चुके हैं और वहीं 265 करोड़ रुपया पिछले वर्ष हमने आबंटित किया था,...*(व्यवधान)* इस वर्ष हम 450 करोड़ रुपया आबंटित कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, वहीं पर मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप्स में हमने 55 हजार का जो लक्ष्य रखा था,...*(व्यवधान)* हम 55 हजार का लक्ष्य रखते हुए 40 हजार तक पहुंच गये हैं।...*(व्यवधान)* 135 करोड़ रुपये की जगह इस वर्ष हमने 140 करोड़ रखा है।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं 15 प्वाइंट प्रोग्राम के संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूं कि हमें यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए...*(व्यवधान)* कि 15 प्वाइंट प्रोग्राम में कोई धन अलग से दिया जाता है।...*(व्यवधान)* कभी-कभी यह चर्चा की जाती है कि हम ट्राइबल या एस.सी. सब-प्लान की तरह क्यों नहीं अल्पसंख्यकों के लिए सब-प्लान बनाते हैं?...*(व्यवधान)* उस सब-प्लान के लिए यह चर्चा में बार-बार आया है कि जो ट्राइबल और जो एस.सी. सब-प्लान है,...*(व्यवधान)* वह भी अपेक्षा अनुसार कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए उस पर हम आगे न बढ़ें। जो हमने 15 प्वाइंट प्रोग्राम का प्लान बनाया है, उसे ही हम आगे बढ़ायें।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सलमान खुर्शीद]

महोदय, मैं अपने सभी साथियों से इतना आग्रह करना चाहूंगा, शाहनवाज हुसैन साहब आ रहे हैं,...*(व्यवधान)* शाहनवाज हुसैन साहब ने चर्चा को बढ़ाया था, हमारे कीर्ति आजाद साहब भी पीछे हैं,...*(व्यवधान)* मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इन्होंने चर्चा को बढ़ाया था।...*(व्यवधान)* क्योंकि इन्होंने एक शेर से बात की थी,...*(व्यवधान)* मैं एक शेर के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि:-

हजारों ख्वाहिशें इतनी,

के हर ख्वाहिश पे दम निकले,

बहुत निकले मेरे अरमान,

लेकिन फिर भी कम निकले।...*(व्यवधान)*

हम आपसे वायदा करते हैं कि जितने भी अरमान इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए हैं,...*(व्यवधान)* हम उन सबको पूरा करेंगे।

हम अलगाववाद की नीति को पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि इस देश में जो काम भी हों, उनके द्वारा अल्पसंख्यकों को यह बात सुनिश्चित करा दी जाए कि हम सब बिरादरान-ए-वतन देशवासी एक साथ मिलकर इस देश में सब लोगों को एक साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी को पीछे नहीं रखना चाहते, किसी को हम धक्का नहीं देना चाहते। लेकिन साथ-साथ मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि अभी तक जितना पैसा आबंटित किया गया है, इससे अधिक धनराशि हमें प्राप्त होनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर हैं। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हमने जब भी वित्त मंत्रालय से निवेदन किया कि हमें और पैसा चाहिए, तो वह पैसा हमेशा हमको दिया गया। आज 700 करोड़ रुपये मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन के लिए दिया गया है। यह और बढ़ेगा। लेकिन कभी-कभी आप यह कहते हैं कि इतना कम पैसा क्यों है। हमारी स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स अभी दो साल पुरानी हैं। धीरे-धीरे यह अनुमान आएगा और इसके आंकड़े हमें मिल जाएंगे कि हमारी सप्लाई-डिमांड सिचुएशन क्या है। जैसा मैंने आपसे कहा, हमने 20 लाख का लक्ष्य रखा और 37 लाख स्कॉलरशिप्स हमने दीं। हम तैयार हैं। जितनी स्कॉलरशिप्स की भी आवश्यकता होगी, वह हम देंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रांतों की एब्जॉर्बिंग कैपैसिटी बढ़ाइए। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टेट्स उन स्कॉलरशिप्स को सही तरीके से क्रियान्वित कर दे, यही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं।

सभापति महोदय, माननीय सोनिया जी भी यहां बैठी हैं। हम आपसे इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि आज जो एम.एस.डी.पी. स्कीम अभी 25 प्रतिशत आबादी पर लागू की गई है और वह वहां पर है जहां पर हम राष्ट्रीय दर से पिछड़े हुए हैं - बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, असम में है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कई बार यह बात उठाई जाती है कि आपने पैसा दिया।...*(व्यवधान)* हमने उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ रुपये भेजा है, लेकिन अभी तक उसका सही उपयोग नहीं हुआ। बात समळाने की है।..*(व्यवधान)*

मैं कीर्ति आजाद जी से कहना चाहता हूं कि हमें जो सहयोग आपसे मिलेगा, हम उस सहयोग का आभार प्रकट करेंगे। यहां पर कहीं पार्टी का ळागड़ा नहीं है। हम लोगों को साथ मिलकर काम करना है। मैं मेघवाल जी को भी बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने तो उर्दू टीचर्स के लिए और उपयोगी नई योजनाएं बनाई जाएं, इस बात को कल रखा है। मैं यह मानता हूं और यह सौभाग्य का विषय है कि भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर दोनों तरफ से हाउस में एक ही भावना सामने आई है कि जब हम अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाएंगे, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन साथ-साथ अपने साथियों से फिर निवेदन करता हूं।...*(व्यवधान)*

आपकी बात सदन के सामने आ गई है, लेकिन जिस उत्तर भारत के लिए आप चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, उसी उत्तर भारत में सबसे अधिक इन स्कीम्स को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। उस उत्तर भारत को तो कम से कम सुनने दो कि उनके लिए क्या हो रहा है।

कल यहां से हमारे कुछ साथियों ने यह कहा कि पैसा जा रहा है लेकिन लग नहीं रहा है। मैं सारे एमपीज से कहना चाहता हूं कि 15 पॉइंट प्रोग्राम पर आप सबकी भागीदारी और आप सबकी निगरानी की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 15 पॉइंट प्रोग्राम की समिति की बैठकें आप अपने अपने क्षेत्र में कराएं, अपने अपने प्रांत में कराएं और अगर बैठक नहीं होती है तो आप हमें बताएं। अगर बैठक नहीं होती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी बैठकें हों। आप एक बात समळाने की कोशिश करें कि पिछले वर्ष तक स्थानीय एम.पी. का कोई हस्तक्षेप या भागीदारी 15 पॉइंट प्रोग्राम की कमेटी में नहीं होती थी। इस वर्ष से एम.पीज को उस कमेटी में रखा गया है। अब आपका यह मानना है कि कमेटी की अध्यक्षता एम.पी. की होनी चाहिए, पैसा बढ़ाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 12वां फाइव

ईयर प्लान तैयार हो रहा है। कल प्लानिंग कमीशन के साथ कुछ एम.पीज की बैठक भी हुई।

अपराह्न 1.15 बजे

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

हम लोगों ने भी बैठक की।...*(व्यवधान)* अध्यक्षा जी आयी हैं।...*(व्यवधान)* मैं समळाता हूं कि अध्यक्षा जी के आने के बाद कम से कम आप लोग बैठ जाएंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रयास किया है कि अपने साथियों को जितनी जानकारी दे सकूं, दे दूं, लेकिन इसके साथ-साथ जो प्रश्न उठे हैं, उन पर विस्तार से मैं सदस्यगण को अलग से पत्र लिखकर पूरी सूचना दूंगा।...*(व्यवधान)* और जितने हमारी साथी चाहेंगे।...*(व्यवधान)* अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* दरभंगा का भी मुळो पूरा ख्याल रहेगा। मैं आपसे केवल इतना बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)* यह चर्चा चलती रहेगी। बस एक शेर और सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* एक शेर और सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

समंदर कर रहा था, मेरे अज्म का तवाफ
दुनिया समळा रही थी कि कश्ती भंवर में है।

...*(व्यवधान)* हमारी कश्ती भंवर में नहीं है, सारा समाज हमारा तवाफ कर रहा है, आप भी हमारे साथ चलिए, तवाफ करिए। इस मुल्क को बनाना है, बढ़ाना है।...*(व्यवधान)* मैं हर सदस्य को अलग से लिखना चाहूंगा...*(व्यवधान)* लाल सिंह जी ने बक्करवाल साथियों के लिए कहा है। मैं उस पर भी चीफ मिनिस्टर साहब को संदेश भेजूंगा।...*(व्यवधान)* जहां-जहां आपकी समस्याएं हैं, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा।...*(व्यवधान)* और अन्य जिलों को शामिल करने की बात, हम इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका समर्थन मिले,...*(व्यवधान)* लेकिन जब लोग देखेंगे कि आप चिल्ला रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, तो लोग समळोंगे कि आप गंभीर नहीं हैं।...*(व्यवधान)* लालू जी, लोग समळोंगे कि आप गंभीर नहीं हैं।...*(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि आपका यहां खड़ा होना हमारी सहमति में है। आप चाहते हैं कि हमारे जो कार्यक्रम हैं, उनको और तेजी से, मजबूती से आगे बढ़ाएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्षा जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुळो यह अवसर दिया।

अपराह्न 01.18 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अपराह्न 01.18 बजे

विदाई संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, केन्द्रीय कक्ष में एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, 21 फरवरी, 2011 को प्रारम्भ हुए पन्द्रहवीं लोक सभा के सातवें सत्र का आज समापन हो रहा है।

इस सत्र के दौरान हमारी 23 बैठकें हुई जो लगभग 116 घंटे 40 मिनट तक चली।

सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसकी एक प्रति 21 फरवरी, 2011 को सभा पटल पर रखी गई थी। 10 घंटे 7 मिनट तक चली चर्चा के पश्चात् सभी संशोधनों को अस्वीकृत किया गया और 24 फरवरी, 2011 को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

"दूरसंचार लाईसेंसों और स्पैक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण" के संबंध में संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति की नियुक्ति का एक प्रस्ताव सदन के नेता ने 24 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत किया, जिसे 3 घंटे 42 मिनट की चर्चा के पश्चात् स्वीकृत किया गया।

बजट (रेल) और बजट (सामान्य) 2011-2012 क्रमशः 25 तथा 28 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत किए गए।

बजट सत्र होने के नाते सभा की बैठकें मूलतः दो भागों, 21 फरवरी से 16 मार्च, 2011 तथा पुनः 05 अप्रैल से 21 अप्रैल, 2011 तक होनी थी। किन्तु कुछ राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा के चुनावों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय भाग की बैठकें निरस्त करनी पड़ी और प्रथम दौर को 25 मार्च, 2011 तक बढ़ा दिया गया। रेल और सामान्य बजट को संबंधित स्थाई समिति द्वारा संबंधित अनुदानों की मांगों की जांच के बिना, पारित करने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 331छ जो कि अनुदानों की मांगों (रेल), 2011-12 और अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2011-12 से संबंधित हैं, को निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव किया गया जिसे सभा ने स्वीकृत किया। सभा ने बजट (रेल) 2011-2012, अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (रेल) 2010-11 तथा अनुदानों की मांगें (रेल) 2011-12 पर संयुक्त रूप से 4 और 7 मार्च, 2011 को चर्चा की,

[अध्यक्ष महोदया]

जो 9 घंटे 58 मिनट तक चली। अनुदानों की मांगों (2011-12) पर दिए गए कटौती प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए गए। रेल अभिसमय समिति (2009) जो कि रेलवे उपक्रमों द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई थी, के प्रथम प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के अनुमोदन का प्रस्ताव 7 मार्च, 2011 को पेश किया गया तथा स्वीकृत किया गया।

सभा में 2011-2012 के बजट (सामान्य) और 2010-11 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर 8, 9 और 11 मार्च, 2011 पर संयुक्त चर्चा की गयी जो 11 घंटे और 10 मिनट तक चली। अनुपूरक मांगें स्वीकृत हुई और संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर उन्हें पूरी स्वीकृत किए जाने से पहले 10 घंटे और 18 मिनट तक चर्चा की गई। खान मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2011-12 की अनुदान मांगों पर 2 घंटे और 44 मिनट तक चर्चा हुई जो पूरी नहीं हो सकी। खान मंत्रालय सहित शेष बचे मंत्रालयों के संबंध में वर्ष 2011-2012 के बजट (सामान्य) से संबंधित शेष अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और 17 मार्च, 2011 को उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकृत कर दिया गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सभा ने 22 मार्च, 2011 को वित्त विधेयक, 2011 पर भी चर्चा की। वित्त वर्ष 2011-12 के संबंध में केंद्र सरकार के वित्तीय प्रावधानों को प्रभावी करने वाले इस विधेयक को पारित करने से पहले सभा द्वारा इस पर 4 घंटे और 14 मिनट तक चर्चा की गई।

वर्तमान सत्र के दौरान, 11 विधेयक पुरःस्थापित किए गए और 10 विधेयकों को पारित किया गया। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं; बन्दी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2011; भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) (संशोधन) विधेयक, 2011; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011; वित्त विधेयक, 2011; प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011; और सिक्का निर्माण विधेयक, 2009।

सभा में नियम 193 के अधीन 8 घंटे 32 मिनट से अधिक समय तक चर्चा की गई। समाचार पत्र में छपी 'वोट के लिए कैश' के भुगतान के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा 18 मार्च, 2011 को दिए गए वक्तव्य पर हुई चर्चा पर प्रधानमंत्री द्वारा बहस का उत्तर दिया गया। देश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर के उत्थान की आवश्यकता पर हुई चर्चा का उत्तर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा दिया गया। सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण कामकाजी वर्ग के बीच व्याप्त असंतोष उत्पन्न स्थिति के बारे में आंशिक रूप से चर्चा हुई।

सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से तीन विषयों क्रमशः आन्ध्र प्रदेश के किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं, येलो-लीफ रोग से प्रभावित 'एरिका नट' की फसल की क्षति के कारण चिकमगलूर जिले में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाए जाने के संबंध में सरकार की पहल पर चर्चा की गई। संबंधित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिया गया और सदस्यों द्वारा मांगें गए स्पष्टीकरणों का उनके द्वारा उत्तर दिया गया।

सरकारी कार्य के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए पांच वक्तव्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 30 वक्तव्य दिए गए।

इस सत्र के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्यों के 43 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। तीन विधेयकों पर चर्चा हुई। उनमें से, श्री अधीर चौधरी द्वारा पेश बालक कल्याण विधेयक, 2009 और श्री वैजयंत पांडा द्वारा पेश अवैध आप्रवासी और स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिक (पहचान और विवासन); विधेयक, 2009 को वापस ले लिया गया। बिहार राज्य को विशेष अनुदान देने के लिए प्रो. रंजन प्रसाद यादव द्वारा पेश विधेयक पर आंशिक रूप से चर्चा हुई।

इस सत्र के दौरान सूचीबद्ध 300 तारांकित प्रश्नों में से 47 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जा सका। इस प्रकार प्रतिदिन औसतन 3.13 प्रश्नों का उत्तर दिया जा सका। शेष तारांकित प्रश्नों और 30450 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

दो आधे घंटे की चर्चाएं भी की गई जो क्रमशः श्री राजू शेट्टी द्वारा पर्यटन नीति के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 61 पर पर्यटन मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों और श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 222 पर वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों से संबंधित थीं।

संबंधित मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

इस सत्र में, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 64 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

प्रश्नकाल के बाद और सभा का सामान्य कार्य पूरा करने के बाद सायं काल में देर तक बैठकर सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के लगभग 371 मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 251 मामले भी उठाए।

इस सत्र के दौरान, व्यवधानों और मजबूरी में किए गए स्थगनों के कारण 25 घंटे और 18 मिनट से अधिक का समय बर्बाद हुआ, हालांकि इसकी भरपाई के लिए सभा 26 घंटे और 36 मिनट देर तक भी बैठी।

पिछले सत्र के दौरान सभा में पैदा हुए दुर्भाग्यपूर्ण गतिरोध को देखते हुए इस सत्र में सफलतापूर्वक सभा का कार्य संचालित होना संतोष का विषय है। वस्तुतः, मतभेद और मतभिन्नता के भी अवसर आए जिनका हमारे जैसे एक गतिशील लोकतंत्र में होना स्वाभाविक भी है। तथापि, प्रशंसनीय बात यह है कि सभी दलों के नेताओं के बीच परिपक्व सलाह-मशविरे के जरिए अधिकांशतः इनका समाधान ढूंढ निकाला गया।

अंत में, मैं उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में अपने सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने सभा का कार्य सुचारू ढंग से संचालित करने में अपना सहयोग दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री, सभा के नेता, विपक्ष के नेता सं.प्र.ग. की अध्यक्षा, संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों, विभिन्न दलों और ग्रुप के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं लोक सभा महासचिव तथा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सभा के प्रति उनके समर्पित और त्वरित सेवा के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं सभा की कार्यवाही चलाने में संबद्ध एजेंसियों की भी उनके द्वारा दिए गए कुशल सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया खड़े हो जाएं, अब राष्ट्र गीत की धुन बजाई जाएगी।

अपराह्न 1.28 बजे

राष्ट्रगीत

(राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई।)

अध्यक्ष महोदया: सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.29 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।